

#### 4. अनुपालना लेखापरीक्षा आक्षेप

राज्य सरकार की कम्पनियों एवं निगमों द्वारा किये गये व्यवहारों की नमूना जांच से प्रकट हुए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम इस अध्याय में सम्मिलित किये गये हैं।

#### सरकारी कम्पनियां

#### जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

#### 4.1 मानवीय रूप से मीटर रीडिंग के पेटे कार्यादेशों में पर्याप्त वाक्यांशों के अभाव के कारण ठेकेदारों को अदेय लाभ

ठेकेदारों ने सीएमआरआई/ एचएचटी के माध्यम से पठन के स्थान पर अधिकतर (73.66 प्रतिशत) मामलों में मानवीय रूप से मीटर पठन का कार्य किया। कम्पनी ने मानवीय रूप से मीटर रीडिंग के लिए कार्यादेशों में पर्याप्त वाक्यांशों के अभाव में सीएमआरआई/ एचएचटी के माध्यम से पठन की निर्धारित दरों पर ठेकेदारों को भुगतान किये।

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (कम्पनी) की मीटर एवं प्रोटेक्शन (एमएण्डपी) शाखा ने सीएमआरआई<sup>1</sup> के माध्यम से मासिक मीटर पठन एवं भार सर्वेक्षण के उद्देश्य से कार्यादेश प्रदान किये (फरवरी 2014)। कार्यादेशों के कार्यक्षेत्र में प्रावधान था कि ठेकेदार<sup>2</sup> मास्टर डाटाबेस के रस्वरस्वाव; मीटर पठन/ सीएमआरआई/ एचएचटी<sup>3</sup> के माध्यम से डाटा की डाउनलोडिंग एवं नियत समयावधि में पदस्थ अधिकारी/ बिलिंग एजेंसी को सौंपने; बेस कम्प्यूटर पर डाटा अपलोडिंग करने; हार्डवेयर की सहायता से उपयुक्त सॉफ्टवेयर लगाकर वायरिंग पुष्टि करने; तथा निर्गत प्रतिवेदन उत्पन्न करने के कार्यों को सुनिश्चित करेंगे। अनुबंध की अवधि अप्रैल 2014 से शुरू होकर दो साल की थी। ठेकेदारों के निष्पादन की अर्द्धवार्षिक रूप से समीक्षा की जानी थी एवं असंतोषजनक निष्पादन पाये जाने की दशा में किसी भी समय कार्य निरस्त किया जा सकता था।

कार्यादेशों के नियम एवं शर्तों में यह भी प्रावधान था कि मीटर पठन केवल मीटर पठन उपकरण/ हैण्ड हेल्ड टर्मिनल (एचएचटी) द्वारा लिये जाने थे जिसके लिये उपभोक्ताओं के परिसरों पर स्थापित विभिन्न मेक<sup>4</sup> के मीटरों से पठन लेने में सक्षम मीटर पठन उपकरण पर्याप्त मात्रा में ठेकेदारों द्वारा उपलब्ध कराये जाने थे। मीटरों पर लगी हुई सील हटाकर सभी

1 कॉमन मीटर पठन इंस्ट्रुमेंट।

2 गैलेक्सी डाटा प्रोसेसिंग सेन्टर तथा एनवाइजी एनर्जी सोल्युशंस प्राइवेट लिमिटेड।

3 हैंड हेल्ड टर्मिनल।

4 कम्पनी ने मीटरों के विभिन्न मेक यथा सिक्योर, एलएण्डटी, एबीबी, डाटाप्रो, डयूक आरनिक्स, जीनस, एचपीएल, ओमनियागेट इत्यादि स्थापित किये थे।

मीटरों को ऑप्टिकल पोर्ट से जोड़कर पठन लेने के लिए पहुंच योग्य बनाया जाना था। कम्पनी द्वारा ठेकेदारों को सीलें आपूर्ति की जानी थी जिसके द्वारा पोर्ट को पुनः सील लगाया जाना एवं कम्पनी को सीलों का मासिक अभिलेख प्रस्तुत किया जाना था। साथ ही, ठेकेदारों द्वारा मीटर पठन की अवधि के दौरान किसी भी असामान्यता/ असंचारित करने वाले मीटर पाये जाने पर 48 घण्टों में कम्पनी को सूचित करना आवश्यक था। असंचारित मीटरों के मामले में मानवीय रूप से पठन की व्यवस्था डिसप्ले पैरामीटर्स के माध्यम से की जानी थी।

मीटर पठन एवं विश्लेषण की दरें विभिन्न प्रकार के मीटरों के लिए अलग-अलग थी। ठेकेदारों द्वारा किये गये आंशिक कार्यों के मामले में, डाटा कैप्चरिंग/ मीटर पठन एवं डाटा विश्लेषण के लिए अलग-अलग दरों के अनुसार निम्न प्रकार से भुगतान किये जाने थे:

(राशि ₹ प्रति मीटर में)

मीटर का प्रकार	गैलेक्सी डाटा प्रोसेसिंग सेन्टर						एनवाइजी एनर्जी सोल्युशंस प्राइवेट लिमिटेड		
	जोधपुर जोन			बाड़मेर जोन			बीकानेर जोन		
	पठन	विश्लेषण	कुल	पठन	विश्लेषण	कुल	पठन	विश्लेषण	कुल
एचटी टीवीएम	80	30	110	130	30	160	127	2	129
एलटी टीवीएम	80	30	110	130	30	160	127	2	129
एलटी सीटी संचालित	80	30	110	130	30	160	127	2	129
श्री फेज होल करन्ट (मासिक बिलिंग)	70	20	90	110	20	130	127	2	129
श्री फेज होल करन्ट (द्विमासिक बिलिंग)	70	20	90	110	20	130	127	2	129

हमने देखा (जुलाई 2015) कि ठेकेदारों ने जुलाई 2015 तक 209710 मीटर पठन लिये जिसमें से 55232 (26.34 प्रतिशत) मीटर पठन सीएमआरआई/ एचएचटी के माध्यम से लिये गये तथा शेष 154478 (73.66 प्रतिशत) मीटर पठन मानवीय रूप से लिये गये। उपभोक्ताओं के मीटर पठन के उपखण्डानुसार विवरण ने उजागर किया कि मानवीय रूप से पठन उन मामलों में लिये गये जहां मीटर, मीटर बॉक्स में लगाये हुए थे, संचार पोर्ट मीटरों को सपोर्ट नहीं करते थे तथा जहां कम्पनी द्वारा इलैक्ट्रोस्टैटिक मीटर स्थापित किये गये थे।

हमने देखा कि ठेकेदारों ने 48 घण्टों के भीतर असंचारित मीटरों के बारे में कम्पनी को सूचित नहीं किया। ठेकेदारों द्वारा भुगतान के लिए प्रस्तुत किये गये मीटर पठन के उपखण्डानुसार विवरण ने केवल तालाबंद पाये गये मीटर, बॉक्स में लगे मीटर, मीटर जिन्होंने एचएचटी/ सीएमआरआई के साथ संचारित नहीं किया, इलैक्ट्रोस्टैटिक मीटर, रुके हुए मीटर एवं मीटर जिनका पठन एचएचटी/ सीएमआरआई के माध्यम से लिया गया ऐसे मीटरों की संख्या जैसे विवरणों को प्रकट किया। तथापि, कम्पनी ने 48 घण्टों के भीतर असंचारित मीटरों के बारे में सूचित नहीं करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की। साथ ही, अधिकतर मामलों में मानवीय रूप से मीटर पठन लेने के उपरान्त भी मीटरों की सील तोड़कर सीएमआरआई/ एचएचटी के माध्यम से मीटर पठन लेने एवं सुसंगत तार/ उपकरण (हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर) की व्यवस्था करने के निर्देश जारी नहीं किये गये। कम्पनी ने इलैक्ट्रोस्टैटिक मीटरों को भी सुसंगत मीटरों में नहीं बदला यद्यपि इनकी संख्या बहुत कम थी।

ठेकेदारों द्वारा अधिकतर मामलों में मानवीय रूप से मीटर पठन लेने के कारण मीटर डाटा के आधार पर विभिन्न निर्गत प्रतिवेदन प्राप्त करने का समग्र उद्देश्य विफल हुआ। मानवीय रूप से मीटर पठन लेने के लिये कोई अलग दर निर्धारित नहीं की गई थी। मानवीय रूप से मीटर पठन

के लिए एक अलग भुगतान प्रणाली अथवा शास्त्र के अभाव में तथा पठन एवं विश्लेषण के लिए दरों के मध्य सारभूत अंतर ने ठेकेदारों को अधिकतर मामलों में मानवीय रूप से मीटर पठन लेने के लिए प्रोत्साहित किया।

यह देखा गया कि इसी प्रकार का एक कार्यादेश कम्पनी की एक सहयोगी संस्था जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल) द्वारा दिया गया (नवम्बर/ दिसम्बर 2012) जिसमें ठेकेदार द्वारा मानवीय रूप से मीटर पठन के मामले में केवल 50 प्रतिशत भुगतान अनुमत किया गया। साथ ही, एक अन्य मामले में देखा गया कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (हरियाणा सरकार की एक विद्युत वितरण कम्पनी) मानवीय रूप से पठन के मामले में ठेकेदारों को केवल 25 प्रतिशत भुगतान अनुमत कर रही थी।

कम्पनी ने जुलाई 2015 तक 1.54 लाख मानवीय रूप से मीटर पठन के मामलों में ठेकेदारों को ₹ 1.19 करोड़ के भुगतान किये। यदि जेवीवीएनएल की तरह मीटर पठन के लिए अनुबंध में 50 प्रतिशत भुगतान की शर्त विद्यमान होती तो कम्पनी ₹ 59.58 लाख के अतिरिक्त भुगतान को बचा सकती थी। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने समझौतों की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों के अर्द्धवार्षिक निष्पादन की समीक्षा भी नहीं की जबकि ठेकेदारों द्वारा अधिकतर मामलों में मीटर पठन मानवीय रूप से लिया गया था।

सरकार ने बताया (जनवरी 2016) कि मीटर पठन की दरें पठन के तरीके, अर्थात् मानवीय रूप से अथवा सीएमआरआई/ एचएचटी के माध्यम से प्रभावित नहीं थीं तथा ठेकेदारों को भुगतान उनके द्वारा की गई आंशिक गतिविधियों के मामले में, डाटा कैप्चरिंग/ मीटर पठन एवं डाटा विश्लेषण के लिए अलग-अलग दरों के अनुसार किये जाने थे। इसने आगे बताया कि मानवीय रूप से पठन के लिए कम्पनी द्वारा अनुमत की गई दरें मानवीय रूप से मीटर पठन के लिए जेवीवीएनएल द्वारा अनुमत की गई दरों के बराबर थीं। उत्तर सहमतिकारक नहीं था क्योंकि ठेकेदारों को केवल सीएमआरआई/ एचएचटी के माध्यम से मीटर पठन लेना आवश्यक था एवं सीएमआरआई/ एचएचटी के माध्यम से मीटर पठन एवं निर्गत प्रतिवेदनों की प्राप्ति के अभाव में कार्यादेश दिये जाने के उद्देश्य प्राप्त नहीं हुए। साथ ही, जेवीवीएनएल द्वारा अनुमत की गई दरों से तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि जेवीवीएनएल द्वारा मीटर पठन एवं विश्लेषण के लिए अलग-अलग दरें नहीं दी गईं। जेवीवीएनएल के ठेकेदारों को मानवीय रूप से पठन लेने के मामले में समेकित मूल्य का 50 प्रतिशत (प्रति मीटर ₹ 90 तथा ₹ 125 के मध्य) छोड़ना पड़ता था। तथापि, कम्पनी के मामले में, ठेकेदारों को केवल विश्लेषण वाले भाग की दरों को छोड़ना पड़ा जो कि प्रति मीटर ₹ 2 तथा ₹ 30 के मध्य थी। इस प्रकार से, ठेकेदारों को मानवीय रूप से पठन लेने के कारण कोई हानि नहीं हुई क्योंकि विश्लेषण वाले भाग के लिए दरें सारभूत रूप से कम थी तथा उनके द्वारा सीएमआरआई/ एचएचटी के माध्यम से मीटर पठन को सुनिश्चित करने के लिए आधारभूत संरचना (उपकरण इत्यादि) पर निवेश करना भी आवश्यक नहीं था जो कि मीटर डाटा के विश्लेषण के लिए पूर्व आवश्यकता थी।

कम्पनी ने आगे उत्तर (जून 2016) में लेखापरीक्षा आक्षेप को स्वीकार किया तथा बताया कि कॉरपोरेट स्तरीय क्रय समिति ने सीएमआरआई/ एचएचटी के माध्यम से मीटर पठन के लिए अनुमत दरों के 50 प्रतिशत पर मानवीय रूप से पठन के लिए भुगतानों को अनुमत करने का निश्चय किया (1 जून 2016)। इसने यह भी बताया कि अधिक भुगतानों की वसूली के लिए बिल को जांचने वाले अधिकारियों को निर्देश जारी किये जा चुके थे।

सरकार ने, तथापि, कम्पनी के उत्तर के विरोधाभास में बताया (जून 2016) कि विभिन्न कारणों यथा उपभोक्ताओं के परिसर पर स्थापित इलैक्ट्रो मैकेनिकल मीटर; सील लगे हुए मीटर बॉक्स के अन्दर की ओर स्थापित मीटर; मीटर पठनकर्ता के पास सुसंगत सीएमआरआई/ एचएचटी की अनुपलब्धता; मैचिंग सॉफ्टवेयर की अनुपलब्धता; रेत एवं बरसाती पानी जमा होने के कारण उपकरण एवं मीटर के मध्य संचार का अभाव; मीटर के दोषपूर्ण/ टूटे हुए पोर्ट; तथा वातावरणीय तापमान बढ़ने के कारण सीएमआरआई के साथ मीटरों का समन्वय नहीं होने के कारण सभी पठन सीएमआरआई/एचएचटी के माध्यम से लेना संभव नहीं था। सरकार का उत्तर सहमतिकारक नहीं था क्योंकि कार्यादेशों के नियम एवं शर्तों में कार्यक्षेत्र के अनुसार मीटर पठन केवल सीएमआरआई/ एचएचटी के माध्यम से उपलब्ध कराना था। सरकार का उत्तर कॉरपोरेट स्तरीय क्रय समिति के निर्णयानुसार (1 जून 2016) ठेकेदारों से वसूली के संबंध में मौन था।

## राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड

### 4.2 उद्यमियों से आर्थिक किराये एवं सेवा प्रभारों की वसूली में प्रणालीगत कमियों पर अनुवर्ती लेखापरीक्षा

#### 4.2.1 परिचय

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (कम्पनी) लीज प्रभारों की पूर्ति एवं औद्योगिक क्षेत्रों के संधारण तथा उनके संचालन एवं रखरखाव पर आवर्ती लागत की पूर्ति के लिए उद्यमियों से वार्षिक रूप से आर्थिक किराये एवं सेवा प्रभारों की वसूली करती है।

राजस्थान सरकार के 31 मार्च 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन संख्या 4 (वाणिज्यिक), इसके पश्चात इसे लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2009-10 कहा जायेगा, के पैराग्राफ 3.9 में आर्थिक किराये एवं सेवा प्रभारों की वसूली में कम्पनी के निष्पादन पर प्रकाश डाला गया था।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2009-10 के अनुच्छेद 3.9 में 2004-05 से 2008-09 की अवधि के दौरान देखी गई आर्थिक किराये एवं सेवा प्रभारों की अवसूली; इकाई कार्यालयों द्वारा आवंटियों के उचित अभिलेखों का रखरखाव नहीं करने; मांग पत्र एवं कारण बताओ नोटिस जारी नहीं करने/ जारी करने में विलम्ब करने; नियमानुसार दोषी उद्यमियों के विरुद्ध कार्यवाही का अभाव; एवं वसूली नहीं होने के कारण पुराने बकाया को अपलिखित करने से संबंधित विसंगतियों पर प्रकाश डाला गया था।

राजकीय उपक्रम समिति (कोपू) द्वारा अनुच्छेद पर चर्चा की गई (9 जुलाई 2013) एवं उसकी सिफारिशें विधायिका के पटल पर रखी गई (मार्च 2016)।

कोपू ने सिफारिश की कि कम्पनी को आर्थिक किराये एवं सेवा प्रभारों की दरों की आवधिक रूप से समीक्षा एवं पुनरीक्षण करने; नोटिस जारी करने एवं पांच साल से अधिक के लिए बकाया देयों की वसूली के लिए विशेष प्रयास करने; देयों की वसूली में लापरवाही के लिए अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने; अभिलेखों के अभिलेखीकरण एवं कम्प्यूटरीकरण के लिए कार्यवाही करने; प्रबंधन सूचना प्रणाली तैयार करने एवं देयताओं की वसूली की नियमित रूप से निगरानी करनी चाहिए।

हमने भी सिफारिश की कि कम्पनी को उद्यमियों से बकाया की वसूली करने के संबंध में अपनी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सशक्त बनाना चाहिए; आर्थिक किराये एवं सेवा प्रभारों की वसूली के लिए अलग से लक्ष्य निर्दिष्ट करने; एवं लक्ष्यों की अप्राप्ति के मामले में संबंधित कर्मचारियों की जवाबदेही निश्चित करनी चाहिए।

अनुवर्ती लेखापरीक्षा कम्पनी के प्रधान कार्यालय एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2009-10 के लिए चयनित छः इकाइयों<sup>5</sup> में से तीन इकाइयों (सीतापुरा, अजमेर एवं भिवाड़ी-II) में की गई। यह लेखापरीक्षा आर्थिक किराये एवं सेवा प्रभारों की वसूली की प्रणाली में सुधार एवं पूर्व में की गई लेखापरीक्षा सिफारिशों पर कम्पनी द्वारा की गई कार्यवाही का आंकलन करने के लिए की गई (जनवरी 2016 से मार्च 2016)। भूमि के आवंटन के लिए कम्पनी द्वारा बनाये गये रीको भूमि निस्तारण नियम 1979 (रीको नियम); आवंटन पत्र एवं लीज समझौतों के नियम एवं शर्तें; कम्पनी द्वारा अपनायी गई लेखांकन नीतियां; तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2009-10 का अनुच्छेद 3.9 अनुवर्ती लेखापरीक्षा का आंकलन करने के लिए अपनाए गए मानदण्ड थे।

सरकार के उत्तरों (जुलाई 2016) को ध्यान में रखते हुए लेखापरीक्षा परिणामों को अन्तिम रूप दिया गया।

#### 4.2.2 आर्थिक किराया

रीको नियमों के नियम 9 में प्रावधान था कि उद्यमियों को चालू वित्तीय वर्ष के लिए भूमि के आवंटन की तिथि से 60 दिन के अंदर आर्थिक किराये के रूप में लीज किराया चुकाना था। जहां भूखण्ड नीलामी में आवंटित किये गये हों उन मामलों में आर्थिक किराया कब्जा लेने/ कब्जा लेने की मानी गई की तिथि से 120 दिन में चुकाया जाना था। आगामी वित्तीय वर्षों के लिए, आर्थिक किराया वर्ष के 1 अप्रैल को देय होता है तथा प्रत्येक वर्ष की 31 जुलाई तक अग्रिम में चुकाया जाना होता है। बकाया आर्थिक किराये पर ब्याज, यदि कोई हो, नियमानुसार देय तिथि से वसूलनीय है। रीको नियमों के नियम 10 में आगे प्रावधान था कि कम्पनी ने प्रत्येक पांच वर्ष में आर्थिक किराये की दर को पुनरीक्षण करने का अधिकार सुरक्षित रखा। तथापि, प्रत्येक पुनरीक्षण पर किराये की वृद्धि पुनरीक्षण से तुरंत पहले की अवधि के लिए देय किराये के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

कम्पनी ने मार्च 2012 तक आर्थिक किराया भूखण्ड के आकार, कस्बे की जनसंख्या एवं वर्ष जिसमें आवंटन/ लीज डीड के निष्पादन (31 मार्च 1991 तक अथवा 1 अप्रैल 1991 को अथवा उसके बाद) किया गया हो, के आधार पर निर्धारित किया (अप्रैल 2002)। आर्थिक किराये की दरें 1 अप्रैल 2012 से पुनर्निर्धारित की गई (अप्रैल 2012)।

#### 4.2.3 सेवा प्रभार

कम्पनी औद्योगिक क्षेत्रों के रखरखाव पर व्यय की गई आवर्ती लागत की भरपाई के लिए उद्यमियों से सेवा प्रभारों की वसूली करती है। रीको नियमों के नियम 15(ए) में प्रावधान था कि आवंटियों द्वारा आर्थिक किराये के अतिरिक्त, आवंटन के समय पर लागू सेवा प्रभारों को चुकाया जाना था। उद्यमियों को चालू वित्तीय वर्ष के लिए आवंटन की तिथि से 120 दिन के अंदर सेवा प्रभार चुकाये जाने थे। आगामी वर्षों के लिए, प्रभार प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल

5 सीतापुरा, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, कोटा, अजमेर, भिवाड़ी-I एवं भिवाड़ी-II.

को देय होता है तथा प्रत्येक वर्ष की 31 जुलाई तक अग्रिम में चुकाया जाना होता है। कम्पनी के पास समय-समय पर सेवा प्रभारों की दर का पुनरीक्षण करने का अधिकार सुरक्षित था।

#### 4.2.4 आर्थिक किराये एवं सेवा प्रभारों की वसूली

हमने देखा कि मार्च 2015 को, ₹ 119.97 करोड़ की कुल राशि (₹ 41.30 करोड़ के ब्याज सहित) सेवा प्रभारों एवं आर्थिक किराये के पेटे उद्यमियों से वसूली के लिए लम्बित थी। अभिलेखों में यह विवरण उपलब्ध नहीं था कि सेवा प्रभारों एवं आर्थिक किराये की राशि किस अवधि के लिए लम्बित थी। चयनित इकाइयों में, 31 मार्च 2015 को उद्यमियों से ₹ 20.12 करोड़ (₹ 6.66 करोड़ के ब्याज सहित) का आर्थिक किराया एवं सेवा प्रभार वसूली के लिए लम्बित था। हमने यह भी देखा कि देयताएं, 2008-09 में ₹ 8.76 करोड़ से 2014-15 में ₹ 20.12 करोड़ तक बढ़ (129.68 प्रतिशत) गईं।

कम्पनी एक लेखांकन नीति का अनुकरण करती है जो इसको पांच वर्ष से अधिक अवधि से वसूली के लिए लम्बित देयताओं को अपलिखित करना अनुमत करती है। इस प्रकार, वित्तीय विवरण पांच वर्ष से अधिक के लिए बकाया देयताओं को डूबत ऋण मानते हुए तैयार किये गये। 31 मार्च 2015 को, पांच वर्ष से अधिक की अवधि से वसूली के लिए लम्बित देयताओं को अपलिखित करने के बाद ₹ 52.12 करोड़<sup>6</sup> सेवा प्रभारों/ आर्थिक किराये के पेटे वसूली के लिए लम्बित थे।

हमने देखा कि 2009-15 के दौरान देयताओं की वसूली में कम्पनी के निष्पादन में गिरावट आई। वित्तीय विवरणों के अनुसार वसूली के लिए लम्बित राशि 31 मार्च 2009 को ₹ 24.33 करोड़ से 31 मार्च 2015 को ₹ 52.12 करोड़ तक बढ़ (114.22 प्रतिशत) गई। सरकार/कम्पनी ने नियमित रूप से सभी देयताओं/ प्रभारों के संग्रहण की निगरानी करने एवं कम्पनी की वित्तीय हालत में सुधार के लिए इकाई कार्यालयों को सलाह देने (अक्टूबर 2009) के तथ्य के उपरान्त भी चयनित इकाइयों में पांच वर्ष से कम अवधि से वसूली के लिए लम्बित राशि 31 मार्च 2009 को ₹ 4.10 करोड़ से बढ़कर (88.56 प्रतिशत) 31 मार्च 2015 को ₹ 7.75 करोड़ हो गई। यह इकाई कार्यालयों द्वारा देयताओं की वसूली में पर्याप्त प्रयासों के अभाव को इंगित करता था। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने अलग से आर्थिक किराये एवं सेवा प्रभारों की वसूली के लिए इकाईवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2009-10 में की गई सिफारिशों के अनुसार कर्मचारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही निश्चित नहीं की।

सरकार ने बताया कि कम्पनी समस्त सेवा प्रभार; आर्थिक किराया; एवं उस पर ब्याज एवं अन्य कोई देयताएं वसूल करती है जब कोई आवंटी किसी अनुमोदन/ अनुमति अथवा किसी मामले में अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के लिए इसके पास पहुंचता है। इसने आगे बताया कि कम्पनी द्वारा किये गये प्रयासों के कारण सेवा प्रभारों की वसूली गई राशि 2009-10 में ₹ 16.63 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 44.37 करोड़ हो गई। उत्तर इसलिये तथ्यों के साथ मेल नहीं खाता क्योंकि सेवा प्रभार; आर्थिक किराया; एवं उस पर ब्याज की वसूली इनके देय होने वाले वर्ष में नहीं की गई। 2009-10 से 2014-15 के दौरान देयताओं की वसूली में वृद्धि, सेवा प्रभारों की दर एवं आवंटियों की संख्या में वृद्धि के कारण थी।

6 इसमें ₹ 48.51 करोड़ (₹ 11.60 करोड़ के ब्याज सहित) के सेवा प्रभार एवं ₹ 3.61 करोड़ (₹ 1.54 करोड़ के ब्याज सहित) का आर्थिक किराया शामिल हैं।

#### 4.2.5 सेवा प्रभारों का पुनरीक्षण

कम्पनी ने सेवा प्रभारों की दरों में वर्ष 2007-08 तक छः प्रतिशत वार्षिक दर से वृद्धि की। तात्कालिक दरों की समीक्षा की गई (अप्रैल 2008) एवं रखरखाव की लागत में वृद्धि के साथ साथ कम वसूली के मद्देनजर औद्योगिक क्षेत्रों की विभिन्न श्रेणियों के लिए 10 से 15 प्रतिशत तक बढ़ा (₹ 1.80 प्रति एसक्यूएम से ₹ 2.75 प्रति एसक्यूएम)<sup>7</sup> दी गई। कम्पनी ने 2009-11 के दौरान इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए दरों का पुनरीक्षण नहीं किया कि दरों को वर्ष 2008-09 के दौरान असामान्य रूप से बढ़ा दिया गया था।

कम्पनी की तकनीकी एवं वित्तीय शाखा (टीएण्डएफडी) ने राजस्व वसूली पर व्यय के आधिक्य के कारण औद्योगिक क्षेत्रों की विभिन्न श्रेणियों के लिए अप्रैल 2011 से सेवा प्रभारों को 10 से 15 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया (मार्च 2011)। टीएण्डएफडी ने सेवा प्रभारों की वृद्धि के कारण 2011-12 के दौरान ₹ 12.50 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व परिकल्पित किया लेकिन कम्पनी ने 2011-12 के दौरान दरों का पुनरीक्षण नहीं किया।

कम्पनी की आधारभूत विकास समिति (आईडीसी) ने सेवा प्रभारों के पुनरीक्षण के लिए एक उप समिति बनाई (मार्च 2012)। कम्पनी ने, उप समिति की सिफारिशों के आधार पर 1 अप्रैल 2012 से 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ ₹ 10 प्रति एसक्यूएम की अधिकतम एवं न्यूनतम ₹ 1000 के अधीन, विकास शुल्क की तात्कालिक दरों के एक प्रतिशत के रूप में दरें निर्धारित की (मई 2012)। तथापि, उद्यमियों के अभ्यावेदन पर दरें ₹ 5 प्रति एसक्यूएम के साथ न्यूनतम ₹ 1000 तक घटा दी (जून 2012) गईं। तथापि, 2013-16 की अवधि के दौरान सेवा प्रभारों की दरों में 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की गई।

वर्ष 2009-15 की अवधि के दौरान वसूल किये गये सेवा प्रभार, औद्योगिक क्षेत्रों के रखरखाव/ विशेष रखरखाव पर कम्पनी द्वारा किया गया व्यय तथा वसूल किये गये सेवा प्रभारों एवं औद्योगिक क्षेत्रों के रखरखाव/ विशेष रखरखाव पर किये गये व्ययों के मध्य अंतर की स्थिति निम्नानुसार थी :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वसूल किये गये सेवा प्रभार	औद्योगिक क्षेत्रों के रखरखाव/ विशेष रखरखाव पर किये गये व्यय	वास्तविक रूप से वसूल किये गये सेवा प्रभारों पर व्यय का आधिक्य
2009-10	16.63	30.53	13.90
2010-11	19.87	42.41	22.54
2011-12	21.62	68.97	47.35
2012-13	31.22	116.68	85.46
2013-14	34.37	113.33	78.96
2014-15	44.37	77.55	33.18

यह देखा गया कि सेवा प्रभारों से वसूला गया राजस्व एवं औद्योगिक क्षेत्रों के रखरखाव/ विशेष रखरखाव पर कम्पनी द्वारा किये गये व्यय के मध्य बहुत अंतर था।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि कम्पनी ने आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों के उचित देखरेख एवं रखरखाव को बनाये रखने को

7 विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सीतापुरा के I एवं II चरणों के सेवा प्रभारों की दरें ₹ 34.50 प्रति एसक्यूएम तथा सेज बोरानाड़ा की दरें ₹ 11.50 प्रति एसक्यूएम थीं।

महत्व दिया। प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र से वसूल किये गये सेवा प्रभारों की राशि रखरखाव पर व्यय करते समय ध्यान में रखी गई लेकिन यह एकमात्र मार्गदर्शक बिंदु नहीं था। कम्पनी को एक क्षेत्र की विशिष्ट रखरखाव आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए व्यय करना पड़ा जिसने सेवा प्रभारों की वसूली एवं किये गये व्यय के मध्य अंतर को बढ़ावा दिया।

#### 4.2.6 दोषी उद्यमियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करना

रीको नियमों का नियम 24 (1) आवंटी द्वारा आवंटन पत्र की शर्त, किसी नियम अथवा लीज समझौते की शर्तों की पालना नहीं करने पर आवंटी को पंजीकृत कारण बताओ नोटिस जारी करने के 30 दिन बाद रीको को आवंटित भूखण्ड को निरस्त करने का अधिकार प्रदान करता है। कारण बताओ नोटिस में स्पष्ट है कि केवल नियम एवं शर्तों की पालना करने पर बकाया माफ किया जा सकेगा। कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं देने अथवा देयताओं को जमा कराने के लिए प्रतिबद्धता अथवा आवंटी द्वारा नियम एवं शर्तों की पालना किये बिना जवाब देने के मामले में भूखण्ड निरस्त तथा लीज समाप्त किये जाने के लिए दायी होगा।

चयनित इकाइयों में हमने देखा कि मार्च 2015 को 3844 उद्यमियों से सेवा प्रभारों/ आर्थिक किराये के पेटे ₹ 20.12 करोड़ की राशि वसूली के लिए लम्बित थी। ₹ 10.78 करोड़ की बकाया देयताओं वाले 157 दोषी उद्यमियों के अभिलेखों की नमूना जांच देयताओं के भुगतान नहीं करने के मामलों में इकाई कार्यालयों द्वारा की गई कार्यवाही की पर्याप्तता की समीक्षा करने के लिए की गई।

हमने देखा कि 157 उद्यमियों में से, 91 (57.96 प्रतिशत) उद्यमियों ने पांच वर्ष से अधिक तक के ₹ 8.57 करोड़ (79.50 प्रतिशत) के सेवा प्रभार नहीं चुकाये तथा कम्पनी लेखांकन नीति के अनुसार इस राशि को डूबत ऋण के रूप में मान चुकी थी। तथापि, कम्पनी ने 157 मामलों में से केवल 72 मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किये। साथ ही, 28 मामलों में, मांग पत्र भी जारी नहीं किये थे। शेष 129 मामलों में नोटिस जारी करने के पश्चात व्यतीत अवधि निम्न प्रकार से थी:

अंतिम मांग पत्र जारी करने के बाद मार्च 2015 तक व्यतीत अवधि	मामलों की संख्या
पांच वर्ष	7
चार वर्ष	6
तीन वर्ष	4
दो वर्ष	8
एक वर्ष/ 2015-16 के दौरान जारी किया गया मांग पत्र	104

हमने देखा कि कम्पनी ने इन उद्यमियों द्वारा एक लंबे समय से देयताओं का भुगतान नहीं करने के बावजूद 2009-15 के दौरान एक भी आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही शुरू नहीं की।

157 दोषी उद्यमियों में से भिवाड़ी की द्वितीय इकाई के 57 उद्यमियों से अधिकतम सेवा प्रभार (₹ 8.59 करोड़) बकाया थे। आगे विश्लेषण ने उजागर किया कि इन 57 उद्यमियों में से ₹ 7.59 करोड़ के सेवा प्रभार केवल 17 उद्यमियों से बकाया थे। तथापि, इन 17 उद्यमियों के महत्वपूर्ण बकाया के मामले में भी, इकाई कार्यालय ने नौ उद्यमियों को मांग पत्र एवं 10 उद्यमियों को कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किये थे।

सरकार ने बताया कि इकाई कार्यालयों द्वारा प्रत्येक वर्ष आर्थिक किराये एवं सेवा प्रभारों के भुगतान के लिए मांग पत्र जारी किये गये लेकिन बंद औद्योगिक इकाइयों अथवा कम्पनी/

आरएफसी<sup>8</sup> /अन्य संस्थाओं के कब्जे में रही इकाइयों ने देयताओं के भुगतान नहीं किये। सेवा प्रभारों की बड़ी राशि के बकाया हो जाने के मामले में भूखण्ड के निरस्तीकरण के लिए आवंटियों को नोटिस जारी किये। तथापि, आवंटियों की संख्या को देखते हुये सम्पूर्ण राज्य में सभी दोषी आवंटियों के भूखण्डों का कब्जा लेना एवं आवंटन निरस्त करना व्यावहारिक एवं व्यावहार्य नहीं था। प्रत्येक वर्ष सभी दोषी आवंटियों को मांग पत्र जारी करने के संबंध में उत्तर सही नहीं था क्योंकि कम्पनी ने उपर्युक्त दर्शाये गये मामलों में मांग पत्र जारी नहीं किये/ विलम्ब से जारी किये। उत्पादनाधीन इकाइयों, जिन्होंने मांग पत्रों पर ध्यान नहीं दिया, की संख्या महत्वपूर्ण थी एवं कम्पनी द्वारा देयताओं की वसूली के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई।

#### 4.2.7 उचित अभिलेखों का रखरखाव नहीं करना

चयनित इकाइयों में, यह देखा गया कि आवंटिती अनुसार स्वाताबही; बंद एवं चालू इकाइयां; एवं बकाया सेवा प्रभारों एवं आर्थिक किराये की आयुवार सूचना के संबंध में आवंटियों के उचित अभिलेख संधारित नहीं किये गये। साथ ही, इकाई कार्यालयों द्वारा देयताओं की वसूली एवं दोषी उद्यमियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही के लिए मांग पत्र/ कारण बताओ नोटिसों के विवरण जैसी अत्यावश्यक सूचनाएं संधारित नहीं की गई। इकाई कार्यालयों ने बकाया देयताओं की क्षेत्रानुसार सूचना; एवं वसूले गये एवं बकाया सेवा प्रभारों/ आर्थिक किराये की समेकित स्थिति संधारित की। व्यक्तिगत उद्यमी की स्थिति का विश्लेषण करने हेतु यह सूचना पर्याप्त नहीं थी।

हमने यह भी देखा कि बकाया सेवा प्रभारों तथा आर्थिक किराये की स्थिति कभी भी निदेशक मण्डल को अवगत नहीं कराई गई।

सरकार ने बताया कि कम्पनी ने प्रत्येक वर्ष सेवा प्रभारों तथा आर्थिक किराये की भूतकालीन बकाया देयताओं; वर्ष के दौरान देय राशि; वर्ष के दौरान प्राप्त राशि; एवं वर्ष के अंत में बकाया राशि का उद्यमीवार विवरण तैयार किया। इसने आगे बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा सुझाया गया विश्लेषण/विवरण कम्पनी द्वारा रखे जाने वाले मानवीय अभिलेखों के मद्देनजर व्यावहार्य नहीं था। इसने यह भी बताया कि बकाया सेवा प्रभार एवं आर्थिक किराया वार्षिक लेखों का हिस्सा थे तथा यह प्रत्येक वर्ष निदेशक मण्डल के सामने प्रस्तुत किये गये। उत्तर सहमतिकारक नहीं था क्योंकि इकाइयों द्वारा उद्यमियों से सेवा प्रभारों तथा आर्थिक किराये की बकाया राशि का आयुवार विवरण तैयार नहीं किया गया। साथ ही, आर्थिक किराये एवं सेवा प्रभारों की वसूली के संबंध में इकाई कार्यालयों की स्थिति पर निदेशक मण्डल की सभाओं में अलग से चर्चा नहीं की गई। कम्पनी, आवश्यकतानुसार व्यक्तिगत अभिलेखों के माध्यम से देयताओं का निस्तारण करती है।

#### निष्कर्ष

वर्ष 2009-15 की अवधि के दौरान आर्थिक किराये एवं सेवा प्रभारों की वसूली की प्रणाली में कोई सुधार नहीं हुआ। इकाई कार्यालय समय से मांग पत्र/ कारण बताओ नोटिस जारी करने में विफल रहे। नियमानुसार दोषी उद्यमियों के विरुद्ध ठोस कार्यवाही के अभाव में बकाया देयताएं वर्ष दर वर्ष बढ़ती गयी। इकाई कार्यालयों द्वारा अभिलेखों के संधारण में कोई सुधार नहीं था। सेवा प्रभारों से वसूले गये राजस्व एवं औद्योगिक क्षेत्रों के

8 राजस्थान वित्त निगम।

रखरखाव/ विशेष रखरखाव पर किये गये व्यय के मध्य बहुत अंतर था। साथ ही, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2009-10 में लेखापरीक्षा द्वारा की गई अनुशंषाएं कम्पनी द्वारा क्रियान्वित नहीं की गई।

#### अनुशंषाएं

कम्पनी को कोपू द्वारा की गई अनुशंषाओं की अनुपालना करनी चाहिए। यह भी सिफारिश की जाती है कि कम्पनी को चाहिये कि वह:

- आर्थिक किराये/ सेवा प्रभारों की वसूली के इकाई कार्यालयानुसार लक्ष्य निर्धारित करे;
- आर्थिक किराये/ सेवा प्रभारों के भुगतान नहीं करने वाले दोषी उद्यमियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करे;
- औद्योगिक क्षेत्रों के रखरखाव/ विशेष रखरखाव पर किये गये व्यय के साथ समानता बनाये रखने के लिए सेवा प्रभारों की दरों को तार्किक बनाये; तथा
- अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण करे एवं इकाई कार्यालयों द्वारा प्रबंधन को प्रस्तुत की जाने वाली बकाया देयताओं (उद्यमी-वार) की आवधिक विवरणियां निर्धारित करे।

#### 4.3 औद्योगिक क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन प्रणाली की स्थापना

##### 4.3.1 परिचय

जल एक दुर्लभ एवं कीमती राष्ट्रीय स्रोत है। यह जीवन के लिए आधारभूत, आजीविका, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विकासात्मक नियोजन में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। राजस्थान राज्य देश के सबसे शुष्कतम राज्यों में से एक है तथा राज्य में कुल सतही जल संसाधन देश के कुल सतही जल संसाधन का मात्र एक<sup>9</sup> प्रतिशत है।

*वर्ष 2001-15 के दौरान राजस्थान में भूजल का उपयोग एवं उनकी फिर से भरार्ई*  
भूजल स्रोत मुख्यतः दो स्रोतों द्वारा पुनः भरे जाते हैं; वर्षा एवं अन्य स्रोत जिनमें नहर रिसाव, सिंचार्ई से प्रतिप्रवाह, जलस्रोतों से रिसाव एवं जल संरक्षण ढांचों से कृत्रिम पुनर्भरण शामिल हैं। राजस्थान में, 2001 में सिंचार्ई (10.454 बीसीएम) तथा औद्योगिक एवं आवासीय (1.181 बीसीएम) उद्देश्य के लिए जल के उपयोग के समक्ष 11.159 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) कुल जल का पुनर्भरण हुआ। वर्ष 2015 में सिंचार्ई तथा औद्योगिक एवं आवासीय उद्देश्य के लिए जल के उपयोग में क्रमशः 11.60 बीसीएम एवं 2.72 बीसीएम की वृद्धि हुई लेकिन जल पुनर्भरण केवल 10.38 बीसीएम था। इस प्रकार, भूजल तालिका में लगातार रिक्तीकरण को इंगित करते हुए भूजल का आहरण 2001 में 0.476 बीसीएम से बढ़कर 2015 में 3.94 बीसीएम हो गया। 58 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत के समक्ष राजस्थान में जल के विकास का स्तर नकारात्मक (125 प्रतिशत) था जो दर्शाता है कि औसत वार्षिक भूजल उपभोग औसत वार्षिक भूजल पुनर्भरण से अधिक था।

*स्रोत: भारतीय जल संसाधन सूचना प्रणाली एवं केंद्रीय भूजल मण्डल।*

राजस्थान सरकार (जीओआर) ने 500 वर्गमीटर (एसक्यूएम) अथवा अधिक क्षेत्र के भूखण्ड वाले सभी सार्वजनिक संस्थानों तथा नगरीय क्षेत्रों में स्थित सभी सम्पत्तियों के लिए वर्षा जल संचयन प्रणाली की अनिवार्य स्थापना के आदेश दिये (31 मई 2000)। आदेश को संशोधित किया गया (12 दिसम्बर 2005) तथा वर्षा जल संचयन प्रणाली की स्थापना को 300 एसक्यूएम अथवा अधिक के नगरीय क्षेत्रों में सभी भूखण्डों के लिए अनिवार्य कर दिया गया।

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (कम्पनी) राज्य में औद्योगिक एवं गैर-औद्योगिक उद्देश्य के लिए भूमि के आवंटन में कार्यरत है। जीओआर के निर्णय के बाद, 500 एसक्यूएम अथवा अधिक के भूखण्ड वाले आवंटियों के लिए 7 दिसम्बर 2000 की तिथि से छः माह की अवधि में वर्षा जल संचयन ढांचे (आरडब्ल्यूएचएस) के निर्माण को अनिवार्य कर दिया गया था। तथापि, कम्पनी ने राज्य सरकार के उस संशोधित (12 दिसम्बर 2005) आदेश पर ध्यान नहीं दिया जिसमें 300 एसक्यूएम अथवा अधिक के भूखण्डों के लिए आरडब्ल्यूएचएस के निर्माण को अनिवार्य कर दिया गया था।

वर्तमान अध्ययन यह आंकलन करने के लिए किया गया (फरवरी 2016 से अप्रैल 2016) कि क्या विद्यमान नियम एवं समय-समय पर कम्पनी द्वारा जारी किये गये निर्देशानुसार आवंटियों द्वारा भूखण्डों में आरडब्ल्यूएचएस स्थापित किये गये। साथ ही, उद्यमियों द्वारा आरडब्ल्यूएचएस के निर्माण की पुष्टि करने के लिए कम्पनी द्वारा अपनाये गये निगरानी तंत्र तथा दोषी आवंटियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की समीक्षा भी की गई।

31 दिसम्बर 2015 तक, कम्पनी 27 इकाई कार्यालयों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत 330 औद्योगिक क्षेत्रों में 54195<sup>10</sup> भूखण्ड (34682 एकड़ भूमि पर 42479 औद्योगिक/ गैर-औद्योगिक इकाइयां) आवंटित कर चुकी थी। दिसम्बर 2015 तक, 42479 इकाइयों में से 36519 इकाइयां उत्पादनाधीन थी तथा 2060 इकाइयां निर्माणाधीन थी। शेष इकाइयों के अधीन भूखण्ड या तो खाली पड़े थे अथवा विवादित थे।

हमारी संवीक्षा में राज्य के सभी भौगोलिक संभागों/ क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए प्रधान कार्यालय एवं चयनित किये गये सात<sup>11</sup> इकाई कार्यालयों पर अभिलेखों की समीक्षा को शामिल किया गया। पुराने एवं नए आवंटियों (इकाइयों) द्वारा नियमों एवं आदेशों की अनुपालना का निर्धारण करने के लिए चयनित इकाई कार्यालयों द्वारा विकसित 71 औद्योगिक क्षेत्रों में से 33 पुराने एवं नए औद्योगिक क्षेत्रों के एक सम्मिश्रण का चयन किया गया। लेखापरीक्षा परिणाम दिसम्बर 2015 को चयनित औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादनाधीन 5581 इकाइयों में से 1262 इकाइयों (औद्योगिक एवं गैर औद्योगिक सहित) के अभिलेखों की विस्तृत संवीक्षा पर आधारित हैं। आवंटियों द्वारा आरडब्ल्यूएचएस की स्थापना की विश्वसनीयता एवं कम्पनी द्वारा प्रतिपुष्टि का आंकलन करने के लिए हमने कम्पनी के कर्मचारियों के साथ 105 इकाइयों का संयुक्त निरीक्षण भी किया।

लेखापरीक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए रीको भूमि निस्तारण नियम 1979, (रीको नियम); आवंटन पत्र के नियम एवं शर्तें; आधारभूत विकास समिति (आईडीसी) के निर्णय, औद्योगिक

10 दिसम्बर 2015 तक खाली पड़े 6937 भूखण्डों की संख्या सहित।

11 आबू रोड़, बीकानेर, भरतपुर, बोरानाड़ा जोधपुर, ईपीआईपी सीतापुरा, कोटा एवं नीमराणा।

क्षेत्रों के लिए जारी की गई प्रशासनिक स्वीकृतियां, तथा कम्पनी द्वारा जारी किये गये अन्य नियम, अधिसूचनाएं, नियमावलियां लेखापरीक्षा मापदण्ड बनाये गये।

अनुच्छेद को सरकार के उत्तर (अगस्त 2016) को ध्यान में रखते हुए अन्तिम रूप दिया गया।

### **लेखापरीक्षा परिणाम**

#### **4.3.2 आरडब्ल्यूएचएस के निर्माण के लिए विनियामक ढांचा**

भूखण्डों के आवंटियों के लिए कम्पनी द्वारा निर्धारित भवन मानदण्डानुसार नक्शा बनाना एवं अनुमोदित कराना आवश्यक है। कम्पनी ने भवन मानदण्डों को संशोधित किया (7 दिसम्बर 2000) तथा 500 एसक्यूएम अथवा अधिक आकार की समस्त गैर-औद्योगिक इकाइयों द्वारा आरडब्ल्यूएचएस की स्थापना को अनिवार्य किया गया। कम्पनी ने 500 एसक्यूएम अथवा अधिक आकार की समस्त औद्योगिक इकाइयों द्वारा आरडब्ल्यूएचएस की अनिवार्य स्थापना की शर्तों को अगस्त 2001 के बाद से आवंटन /अंतरण पत्रों में समाहित भी किया गया। आवंटी द्वारा आवंटन /अंतरण पत्र की किसी भी नियम एवं शर्त की अनुपालना नहीं करने के मामले में भूखण्ड के आवंटन को स्वतः ही निरस्त मान लिया जाना था।

जीओआर ने राज्य जल नीति 2010 जारी (फरवरी 2010) की जिसमें ग्रामीण एवं नगरीय दोनों क्षेत्रों में छत के वर्षा जल संचयन के प्रोत्साहन पर जोर दिया गया। राज्य जल नीति की अनुपालना में कम्पनी ने उक्त नीति एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप कम्पनी के औद्योगिक क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन के मामले की जांच के लिए एक उप-समुह<sup>12</sup> का गठन किया (9 जून 2011)।

उप-समुह की अनुशंषाओं (अगस्त 2011) के आधार पर आईडीसी द्वारा 500 एसक्यूएम अथवा अधिक आकार के सभी मौजूदा आवंटियों को छः माह की अवधि में अपने परिसरों में आरडब्ल्यूएचएस का निर्माण करना आवश्यक करने का निश्चय किया गया (5 सितम्बर 2011)। आरडब्ल्यूएचएस के निर्माण के अभाव में भू उपयोग परिवर्तन; भूखण्ड के अंतरण; इकाई के संविधान में परिवर्तन; एवं अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में वर्तमान आवंटियों के निवेदन को नहीं माना जाना था।

यह भी निश्चय किया गया कि संबंधित इकाई प्रमुख द्वारा नई औद्योगिक इकाइयों को उनके परिसरों में आरडब्ल्यूएचएस की पुष्टि किये बिना 'उत्पादनाधीन' के रूप में दर्ज नहीं किया जायेगा।

आईडीसी ने रीको नियमों के नियम 23 (सी) को भी संशोधित किया (अगस्त 2014)। संशोधित नियम में प्रावधान था कि नियत दरों पर शास्ति के वार्षिक भुगतान करने पर आरडब्ल्यूएचएस के निर्माण नहीं करने/ निर्माण पूरा किये बिना किसी औद्योगिक इकाई को 'उत्पादनाधीन' माना जा सकेगा। इस संशोधन पर एक स्पष्टीकरण जारी किया गया (सितम्बर 2014) जिसमें प्रावधान था कि:

- जिन मामलों में 30 सितम्बर 2011 से 24 अगस्त 2014 की अवधि के दौरान भूखण्डों को 'उत्पादनाधीन' माना गया हो उन मामलों में आरडब्ल्यूएचएस के निर्माण

12 उद्योग आयुक्त, आयुक्त (निवेश एवं एनआरआई) तथा सचिव (ऊर्जा)।

की तिथि तक उत्पादन गतिविधियों को शुरू करने में विलम्ब को प्रतिधारण प्रभारों के भुगतान पर नियमित किया जा सकेगा,

- जिन मामलों में 25 अगस्त 2014 अथवा उसके बाद भूखण्डों को 'उत्पादनाधीन' माना गया हो, उनमें उद्यमियों को आरडब्ल्यूएचएस के निर्माण में विलम्ब के लिए नियत दरों पर शास्ति का भुगतान करना आवश्यक था।

तथापि, जिन आवंटियों ने अगस्त 2014 के बाद भी आरडब्ल्यूएचएस स्थापित नहीं किया था लेकिन उन इकाइयों को अक्टूबर 2011 से अगस्त 2014 की अवधि के दौरान 'उत्पादनाधीन' माना गया था, उन मामलों में प्रतिधारण प्रभारों की वसूली के संबंध में यह स्पष्टीकरण मौन था।

#### 4.3.3 आवंटियों द्वारा आरडब्ल्यूएचएस का निर्माण

मार्च 2016 तक 1262 चयनित इकाइयों में से केवल 515 इकाइयों द्वारा आरडब्ल्यूएचएस का निर्माण किया गया। कम्पनी द्वारा निर्देश जारी करने/ नियमों में संशोधन के आधार पर आवंटियों द्वारा आरडब्ल्यूएचएस के निर्माण करने के विश्लेषण को तीन भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग 703 इकाइयों द्वारा आरडब्ल्यूएचएस के निर्माण को सम्मिलित करता है जो सितम्बर 2011 को उत्पादनाधीन थी; द्वितीय भाग 339 नई इकाइयों को सम्मिलित करता है जो अक्टूबर 2011 से अगस्त 2014 के दौरान उत्पादन में आई; तथा तृतीय भाग 176 इकाइयों को सम्मिलित करता है जो अगस्त 2014 के बाद उत्पादन में आई। 44 पुरानी इकाइयों के संबंध में डाटा के अभाव में उनकी उत्पादन की तिथि की पुष्टि नहीं की जा सकी। तथापि, इन पुरानी इकाइयों में से 14 इकाइयां अपने परिसरों में आरडब्ल्यूएचएस स्थापित कर चुकी थी। मार्च 2016 को, 1262 चयनित इकाइयों द्वारा आरडब्ल्यूएचएस को स्थापित करने की स्थिति निम्न प्रकार थी:

अवधि	अध्ययनाधीन इकाइयां	इकाइयां जिन्होंने आरडब्ल्यूएचएस स्थापित किये	इकाइयां जिन्होंने आरडब्ल्यूएचएस स्थापित नहीं किये
सितम्बर 2011 को उत्पादनाधीन इकाइयां	703	160	543
अक्टूबर 2011 से अगस्त 2014 के दौरान उत्पादन में आई इकाइयां	339	206	133
अगस्त 2014 के बाद उत्पादन में आई इकाइयां	176	135	41
इकाइयों जिनके उत्पादन की तिथि की पुष्टि नहीं की जा सकी	44	14	30
<b>कुल</b>	<b>1262</b>	<b>515</b>	<b>747</b>

- सितम्बर 2011 को 'उत्पादनाधीन' 703 इकाइयों में से केवल 160 इकाइयों ने ही मार्च 2016 तक अपने परिसरों में आरडब्ल्यूएचएस स्थापित किये थे। हमने देखा कि केवल आठ विद्यमान इकाइयों द्वारा ही छः माह की निर्धारित अवधि में आरडब्ल्यूएचएस स्थापित किये गये। तथापि, कम्पनी/ इकाई कार्यालयों ने अक्टूबर 2011 से मार्च 2016 की अवधि के दौरान इन इकाइयों द्वारा आरडब्ल्यूएचएस के निर्माण की पुष्टि किये बिना ही 34 मामलों में इकाइयों के संविधान में परिवर्तन; सात मामलों में भू उपयोग में परिवर्तन; 235 मामलों में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने; तथा 194 मामलों में इकाइयों के अंतरण को अनुमत किया।
- इकाई प्रभारियों ने अक्टूबर 2011 से अगस्त 2014 की अवधि के दौरान 339 इकाइयों को 'उत्पादनाधीन' माना लेकिन केवल 206 इकाइयों द्वारा ही अपने परिसरों

में आरडब्ल्यूएचएस स्थापित किये गये। शेष 133 इकाइयां आरडब्ल्यूएचएस का निर्माण किये बिना ही 'उत्पादनाधीन' मानी गई। हमने देखा कि कम्पनी ने आरडब्ल्यूएचएस को विलम्ब से स्थापित करने/ आरडब्ल्यूएचएस को स्थापित नहीं करने के पेटे ₹ 6.45 करोड़ के प्रतिधारण प्रभारों की वसूली नहीं की।

- अगस्त 2014 के बाद उत्पादन में आई 176 इकाइयों में से केवल 135 इकाइयों द्वारा आरडब्ल्यूएचएस स्थापित किये गये। शेष 41 इकाइयों में से 19 इकाइयों को आरडब्ल्यूएचएस स्थापित किये बिना ही वर्तमान मानदण्डानुसार 'उत्पादनाधीन' माना गया। 22 इकाइयों के मामले में उत्पादन की अनुसूचित तिथि मार्च 2016 के बाद थी। कम्पनी ने उन इकाइयों<sup>13</sup> से ₹ 0.06 करोड़ की शास्ति की वसूली नहीं की जिन्हें आरडब्ल्यूएचएस को स्थापित किये बिना ही 'उत्पादनाधीन' माना गया।

#### 4.3.4 संयुक्त निरीक्षण के परिणाम

हमने आवंटियों द्वारा आरडब्ल्यूएचएस की स्थापना की विश्वसनीयता का निर्धारण करने के लिए कम्पनी के कर्मचारियों के साथ 105 इकाइयों का संयुक्त निरीक्षण किया जिसे इकाई कार्यालयों द्वारा सत्यापित भी किया गया। संयुक्त निरीक्षण के परिणाम निम्न प्रकार थे:

क्रम संख्या	इकाई कार्यालय का नाम	संयुक्त निरीक्षणों की संख्या	इकाइयों की संख्या जहां आरडब्ल्यूएचएस अस्तित्व में नहीं थे	इकाइयों की संख्या जहां आरडब्ल्यूएचएस का उचित रखरखाव नहीं किया था
1	आबू रोड़	13	7	5
2	नीमराणा	9	2	3
3	भरतपुर	8	-	7
4	बीकानेर	20	-	8
5	कोटा	34	-	12
6	बोरानाड़ा जोधपुर	11	8	11
7	सीतापुरा जयपुर	10	1	1
<b>कुल</b>		<b>105</b>	<b>18</b>	<b>47</b>

संयुक्त निरीक्षण के परिणामों ने उजागर किया कि 105 इकाइयों में से 18 इकाइयों ने आरडब्ल्यूएचएस की स्थापना नहीं की थी लेकिन इकाई कार्यालय इसे पहले ही सत्यापित कर चुके थे। इससे इंगित हुआ कि आवंटियों द्वारा आरडब्ल्यूएचएस के निर्माण को इकाई के भौतिक सत्यापन किये बिना ही इकाई कार्यालय द्वारा प्रमाणित कर दिया गया था। इससे अनियमितताओं का जोखिम बढ़ता है क्योंकि इकाई कार्यालयों की सहमति के बिना उद्यमी भू उपयोग में परिवर्तन; भूखण्ड के अंतरण; इकाई के संविधान में परिवर्तन; वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में समर्थ नहीं थे। साथ ही, 47 इकाइयों में, हमने देखा कि आरडब्ल्यूएचएस का उचित रूप से रखरखाव नहीं किया गया था क्योंकि पानी के भूमिगत टैंक मौजूद नहीं थे; छत के पानी को भूमिगत टैंक में ले जाने के लिए लगाये गये पाईप मौजूद नहीं थे अथवा पाईप कचरे के कारण अवरुद्ध पड़े थे।

13 38 इकाइयों के संबंध में (19 इकाइयां जिन्होंने आरडब्ल्यूएचएस को स्थापित नहीं किया एवं 19 इकाइयां जिन्होंने आरडब्ल्यूएचएस को विलम्ब से स्थापित किया गया)।

#### 4.3.5 आरडब्ल्यूएचएस के निर्माण की निगरानी

कम्पनी ने औद्योगिक क्षेत्रों में इकाइयों द्वारा आरडब्ल्यूएचएस के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी व्यूहरचना नहीं बनाई तथा लागू नहीं की। इकाई कार्यालयों ने सितम्बर 2011 तक कोई नोटिस जारी नहीं किये यद्यपि 500 एसक्यूएम अथवा अधिक आकार की समस्त इकाइयों के लिए आरडब्ल्यूएचएस की स्थापना करना अगस्त 2001 से अनिवार्य था। कम्पनी द्वारा आरडब्ल्यूएचएस की स्थापना के लिए आवंटियों में जागरूकता पैदा करने एवं निर्देश जारी करने का अभाव रहा। कम्पनी/ इकाई कार्यालयों के पास आरडब्ल्यूएचएस का निर्माण कर चुकी इकाइयों का कोई डाटाबेस नहीं था। डाटाबेस के अभाव में, कम्पनी/ इकाई कार्यालय उन इकाइयों की पहचान नहीं कर सके जिन्होंने आरडब्ल्यूएचएस का निर्माण नहीं किया एवं इस प्रकार प्रतिधारण प्रभारों के लिए दायी थी। आरडब्ल्यूएचएस की स्थापना नहीं करने के पर भूखण्ड निरस्त किये जा सकते थे लेकिन आवंटन/ अंतरण पत्रों की इस शर्त की अनुपालना की निगरानी नहीं की गई थी। साथ ही, निर्देशों के उल्लंघन में इकाई प्रमुखों द्वारा आरडब्ल्यूएचएस के निर्माण को सत्यापित किये बिना नई 'उत्पादनाधीन' इकाई मान लिया गया।

भूखण्ड के आवंटियों द्वारा आरडब्ल्यूएचएस का निर्माण करने के बाद संबंधित इकाई प्रमुखों को लिखित में सूचित करना आवश्यक था। हमने देखा कि मार्च 2016 तक 1262 चयनित इकाइयों में से केवल 45 इकाइयों ने आरडब्ल्यूएचएस के निर्माण के बारे में सूचित किया। तथापि, कम्पनी ने सितम्बर 2011 से मार्च 2016 के दौरान 1217 मामलों में से केवल 161 मामलों (13.23 प्रतिशत) में ही नोटिस जारी किये। इस प्रकार, इकाई कार्यालय आवंटियों से सूचनाएं प्राप्त नहीं होने के बावजूद भी आरडब्ल्यूएचएस के निर्माण की निगरानी करने में विफल रहे।

#### 4.3.6 आईडीसी की अनुशंसाओं का क्रियान्वयन

आईडीसी ने, 5 सितम्बर 2011 को आयोजित सभा में लिये गये निर्णयों के अतिरिक्त भी सिफारिश की कि:

- आरडब्ल्यूएचएस के अत्यावश्यक मानदण्डों जैसे आकार, प्रकार, डिजाइन, तकनीकी विशिष्टियां इत्यादि को परिभाषित करने के लिए वर्षा जल संचयन प्रणाली पर एक मैनुअल तैयार किया जाये;
- उद्योग संघ के साथ व्यापक चर्चा के द्वारा जल संचयन प्रणाली के लिए एक प्रेरक दृष्टिकोण अपनाया जाये; तथा
- उपसमूह के सुझावों के क्रियान्वयन के तौर-तरीकों को निश्चित करने के लिए एक समूह बनाया जाये।

इकाई कार्यालयों/ कम्पनी द्वारा आईडीसी की उपर्युक्त अनुशंसाओं की अनुपालना की चर्चा नीचे की गई है।

#### 4.3.7 आरडब्ल्यूएचएस के निर्माण के लिए मैनुअल बनाना

कम्पनी के पास आरडब्ल्यूएचएस के निर्माण की क्रियाविधि बतलाने वाला एक प्रलेख था (जून 2005) लेकिन इकाई कार्यालय ऐसे किसी प्रलेख के बारे में अनभिज्ञ थे। साथ ही, आईडीसी के निर्देशों (5 सितम्बर 2011) की अनुपालना में, कम्पनी ने आरडब्ल्यूएचएस के अत्यावश्यक

मानदण्डों जैसे आकार, प्रकार, डिजाइन, तकनीकी विशिष्टियां इत्यादि को परिभाषित करने के लिए कोई मैनुअल तैयार नहीं किया। इकाई कार्यालय क्षेत्र की भूसंरचना के अनुसार आरडब्ल्यूएचएस के निर्माण के लिए इकाइयों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली तकनीक एवं विशिष्टताओं के बारे में अनभिज्ञ थे।

विशिष्ट निर्देशों एवं जागरुकता के अभाव में, चयनित इकाई कार्यालयों द्वारा तैयार किये गए मौका प्रतिवेदनों में केवल यह दर्शाया गया था कि क्या आवंटियों ने आरडब्ल्यूएचएस का निर्माण किया था अथवा नहीं। इस प्रकार, कम्पनी निर्माण किये जाने वाले आरडब्ल्यूएचएस के अत्यावश्यक मानदण्डों के अभाव के कारण इकाइयों द्वारा स्थापित किये गये आरडब्ल्यूएचएस की उपयुक्तता को सुनिश्चित नहीं कर सकी।

#### **4.3.8 आरडब्ल्यूएचएस को स्थापित करने की प्रक्रिया**

एक नीति का क्रियान्वयन अधिकांशतः हितधारियों के भाग लेने पर निर्भर करता है। राज्य जल नीति 2010 एक धारणीय आधार पर जल स्रोतों के नियोजन, विकास एवं प्रबंधन में एक एकीकृत एवं बहु-पक्षीय दृष्टिकोण अपनाने के लिए लक्षित थी। यह नीति शिक्षा, विनियम, प्रगतिशील जल टैरिफ द्वारा उत्प्रेरक एवं अनुत्प्रेरक, जल पुनःचक्रण सुविधाएं इत्यादि के माध्यम से जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए लक्षित थी।

औद्योगिक एवं गैर-औद्योगिक भूखण्डों के आवंटी कम्पनी द्वारा विकसित किये गये औद्योगिक क्षेत्रों में आरडब्ल्यूएचएस को स्थापित करने के लिए संबद्ध हितधारी थे। तथापि, कम्पनी ने वर्षा जल संचयन के महत्व के बारे में उद्यमियों के मध्य प्रचार करने एवं जागरुकता पैदा करने के लिए कोई कार्यक्रम नहीं बनाया।

उपसमूह ने राज्य में सतही जल की कमी एवं भूजल की चिंताजनक स्थिति तथा राज्य जल नीति के प्रावधानानुसार वर्षा जल संचयन प्रणाली के क्रियान्वयन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये औद्योगिक क्षेत्रों में आरडब्ल्यूएचएस की अनिवार्य स्थापना की सिफारिश की थी (24 अगस्त 2011)। आईडीसी द्वारा भी उपसमूह के सुझावों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए एक समूह का गठन किया गया (सितम्बर 2011)। तथापि, समूह ने औद्योगिक क्षेत्रों में इकाइयों द्वारा आरडब्ल्यूएचएस की स्थापना की प्रक्रिया तय करने के लिए कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया। साथ ही, कम्पनी भूसंरचनात्मक दशाओं के अनुसार आरडब्ल्यूएचएस की स्थापना के संबंध में औद्योगिक इकाइयों की शिकायतों के निवारण में भी पीछे रही।

हमने देखा कि कोटा एवं झालावाड़ औद्योगिक क्षेत्रों के औद्योगिक संघों ने कम्पनी से स्तरित/कठोर चटटान वाली अभेद्य क्षेत्र में उद्योगों के स्थित होने के मद्देनजर आरडब्ल्यूएचएस के निर्माण के लिए दिशानिर्देश जारी करने का निवेदन किया (जुलाई 2012)। तथापि, कम्पनी इन क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक इकाइयों को दिशानिर्देश उपलब्ध कराने में विफल रही (अप्रैल 2016)। परिणामस्वरूप, कोटा इकाई कार्यालय में चयन की गई 276 इकाइयों में से केवल 90 इकाइयां ही आरडब्ल्यूएचएस का निर्माण कर सकी (मार्च 2016)।

सरकार ने लेखापरीक्षा आक्षेपों को स्वीकार किया एवं बताया (अगस्त 2016) कि वर्षा जल संचयन ढांचों के निर्माण के संबंध में लेखापरीक्षा आक्षेपों एवं कम्पनी द्वारा जारी किये गये आदेशों/परिपत्रों की अनुपालना को सुनिश्चित करने के लिए सभी इकाई कार्यालयों को निर्देश जारी कर दिये गये (अप्रैल 2016) थे। इसने आगे बताया कि वर्षा जल संचयन ढांचों के

निर्माण के लिए उद्योग संघों से समर्थन प्राप्त करने तथा प्रचार एवं जागरुकता पैदा करने के लिए कम्पनी द्वारा उपयुक्त स्थानों पर फलेक्सी साइन बोर्ड लगवाने के लिए निर्देश जारी किये गये।

### निष्कर्ष

कम्पनी औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटियों द्वारा वर्षा जल संचयन ढांचों (आरडब्ल्यूएचएस) की अनिवार्य स्थापना को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी व्युत्तरचना बनाने एवं लागू करने में विफल रही। आधारभूत विकास समिति (आईडीसी) के निर्णयों/ निर्देशों की अनुपालना के अभाव में कम्पनी/ इकाई कार्यालयों द्वारा इकाई के संविधान में परिवर्तन; भू उपयोग में परिवर्तन; इकाइयों के अंतरण; अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने को अनुमत किया गया तथा आरडब्ल्यूएचएस की स्थापना को सुनिश्चित किये बिना मौजूदा मानदण्डों के अनुसार इकाइयों को 'उत्पादनाधीन' मान लिया गया। कई उदाहरण ऐसे भी देखे गये जहां आवंटियों द्वारा आरडब्ल्यूएचएस की स्थापना नहीं की गई लेकिन इकाई कार्यालयों द्वारा इन इकाइयों द्वारा आरडब्ल्यूएचएस स्थापित करने को प्रमाणित किया गया। साथ ही, कुछ मामलों में आवंटियों द्वारा स्थापित किये गये आरडब्ल्यूएचएस का उचित रखरखाव नहीं किया गया था। कम्पनी द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों की भूसंरचना पर आधारित आरडब्ल्यूएचएस के निर्माण के लिए आवंटियों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाले तकनीकी मानदण्ड एवं तकनीक निर्धारित नहीं की गई। कम्पनी द्वारा, प्रचार के लिए एवं वर्षा जल संचयन के महत्व के बारे में उद्यमियों के मध्य जागरुकता पैदा करने के लिए कोई कार्यक्रम भी नहीं बनाया गया जैसा कि आईडीसी द्वारा अनुशंसा की गई थी।

### अनुशंसाएं

हम सिफारिश करते हैं कि कम्पनी को चाहिए कि:

- आवंटियों द्वारा निर्धारित समय सीमा में आरडब्ल्यूएचएस की अनिवार्य स्थापना को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी व्युत्तरचना बनाये एवं लागू करे। कम्पनी, आरडब्ल्यूएचएस की स्थापना में ढिलाई करने वाले उद्यमियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही भी शुरू करे;
- औद्योगिक क्षेत्रों की भूसंरचना पर आधारित आरडब्ल्यूएचएस के निर्माण के लिए आवंटियों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाले तकनीकी मानदण्ड एवं तकनीक निर्धारित करे;
- एक इकाई को 'उत्पादनाधीन' मानने तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने, भूमि अंतरण इत्यादि से पूर्व आरडब्ल्यूएचएस के अनिवार्य सत्यापन के लिए इकाई कार्यालयों को निर्देश जारी करे। कम्पनी, स्थापित किये गये आरडब्ल्यूएचएस के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित फोटोग्राफिक साक्ष्य लेने को भी ध्यान में रख सकती है;
- यह सुनिश्चित करने के लिए इकाइयों के आवधिक सत्यापन के लिए इकाई कार्यालयों को निर्देश जारी करे कि आवंटियों द्वारा स्थापित आरडब्ल्यूएचएस का

उचित रखरखाव किया जा रहा है;

- वर्षा जल संचयन के महत्व के बारे में प्रचार के लिए एवं उद्यमियों के मध्य जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यक्रम बनाये एवं लागू करे।

#### 4.4 आरक्षित मूल्य का कम निर्धारण

इकाई कार्यालय (नीमराणा) द्वारा भूमि के अनाधिकृत कब्जे के नियमितीकरण पर राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम निर्धारित दरों से कम आरक्षित मूल्य निर्धारित करने के कारण ₹ 1.73 करोड़ की हानि हुई।

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (कम्पनी) द्वारा बनाये गये 'रीको भूमि निस्तारण नियम, 1979' (रीको नियम) के अनुसार एक अथवा अधिक मौजूद भूखण्डों के साथ लगी हुई भूमि का एक टुकड़ा जिसे स्वतंत्र रूप से उपयोग में नहीं लाया जा सकता क्योंकि न तो इसे नगर नियोजन मानदण्डों के अनुरूप एक स्वतंत्र भूखण्ड के रूप में नियोजित किया जा सकता हो तथा न ही ऐसी भूमि के टुकड़े तक पहुंचा जा सकता हो उसे भूमि की पट्टी के रूप में परिभाषित करते हैं।

रीको नियमों के नियम 12 (बी-2) में प्रावधान था कि वाणिज्यिक भूखण्डों के मामले में भूमि की पट्टी की आवंटन की दर, औद्योगिक भूमि के आवंटन की प्रचलित दर की चार गुणा अथवा वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए अन्तिम नीलामी में प्राप्त उच्चतम नीलामी दर जो भी अधिक हो, होगी। यदि भूमि की कोई पट्टी इस प्रकार से स्थित है कि इसके साथ लगे हुए एक से अधिक भूखण्डों के स्वामियों द्वारा उपयोग की जा सके, उस मामले में ऐसी भूमि की पट्टी का निस्तारण सभी साथ लगे हुए भूखण्डों के स्वामियों के मध्य एक सीमित नीलामी द्वारा किया जायेगा। यदि नीलामी के दौरान भूमि क्रय में केवल साथ लगे हुए एक भूखण्ड का स्वामी रूचि दर्शाता है तो नियम में दर्शायी गई दरों से कम दर पर भूमि की पट्टी का आवंटन नहीं किया जायेगा।

इकाई कार्यालय (नीमराणा) ने वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए वनचारी होटल्स प्राइवेट लिमिटेड<sup>14</sup> (वीएचपीएल) को 20125 वर्ग मीटर (एसक्यूएम) भूमि (भूखण्ड संख्या सीसी-1) आवंटित की (दिसम्बर 1998)। तथापि, इसके साथ सटी हुई 1684 एसक्यूएम भूमि भी वीएचपीएल के पास अनाधिकृत कब्जे में थी।

भूमि के अनाधिकृत कब्जे का तथ्य इकाई कार्यालय (नीमराणा) द्वारा औद्योगिक क्षेत्र नीमराणा-I के निरीक्षण के समय अगस्त 2013 के दौरान ध्यान में आया। इकाई कार्यालय ने वीएचपीएल को भूमि खाली करने का निर्देश दिया (अक्टूबर 2013) तथा इसके जवाब में (दिसम्बर 2013), वीएचपीएल ने ब्याज सहित आवंटन दर पर भूमि की पट्टी को क्रय करने का प्रस्ताव दिया।

14 भूमि को मूल रूप से डोराता शोपिंग कॉम्प्लेक्स को आवंटित की गई थी जिसका नाम बाद में मॉडर्न बिल्डर्स के रूप में परिवर्तित किया गया (जून 2000)। भूमि को वीएचपीएल द्वारा मॉडर्न बिल्डर्स के अधिग्रहण के बाद वीएचपीएल के नाम में अंतरित किया गया।

भूमि की पट्टी भूखण्ड संख्या सीसी-1 तथा सीसी-2 के मध्य स्थित थी तथा इसलिए इकाई कार्यालय ने दोनों स्वामियों से सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की (मार्च 2014)। भूमि की पट्टी के लिए आरक्षित मूल्य (₹ 12000 प्रति एसक्यूएम) विकास शुल्क की प्रचलित दरों (₹ 3000 प्रति एसक्यूएम) का चार गुणा निर्धारित किया गया (मार्च 2014)। सीसी-2 भूखण्ड के स्वामी ने निविदा प्रस्तुत नहीं की जबकि वीएचपीएल ने कोई दर उद्धृत किये बिना भूमि को क्रय करने की इच्छा जताई (अप्रैल 2014)। कम्पनी ने आरक्षित मूल्य पर वीएचपीएल को भूमि की पट्टी आवंटित कर दी (मई 2014)।

हमने देखा (अगस्त 2015) कि इकाई कार्यालय ने भूमि की पट्टी का आरक्षित मूल्य (₹ 12000 प्रति एसक्यूएम) विकास शुल्क की प्रचलित दरों (₹ 3000 प्रति एसक्यूएम) का चार गुणा निर्धारित किया था। इकाई कार्यालय ने प्रधान कार्यालय को सूचित किया कि वाणिज्यिक भूखण्ड के लिए प्राप्त (जून 2011) उच्चतम नीलामी दर ₹ 9501 प्रति एसक्यूएम थी तथा इस दर के आधार पर आरक्षित मूल्य का निर्धारण कम होगा।

हमने यह भी देखा कि इकाई कार्यालय ने प्रचलित बाजार दशाओं को ध्यान में रखे बिना भूमि की पट्टी का आरक्षित मूल्य निर्धारित किया क्योंकि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक भूमि के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई आवंटन (डीएलसी<sup>15</sup> दर) की न्यूनतम दर (₹ 22270 प्रति एसक्यूएम) इकाई कार्यालय द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य से बहुत अधिक थी। इकाई कार्यालय ने इस तथ्य के बावजूद डीएलसी दर को ध्यान में नहीं रखा कि उसी औद्योगिक क्षेत्र में अन्य वाणिज्यिक भूखण्ड (5782 एसक्यूएम माप वाला सीसी-13) के संबंध में इसने पूर्व में डीएलसी की प्रचलित दर के आधार पर ₹ 25000 प्रति एसक्यूएम का आरक्षित मूल्य प्रस्तावित किया था (3 फरवरी 2014) तथा कम्पनी के प्रधान कार्यालय द्वारा अनुमोदित<sup>16</sup> किया गया था (अक्टूबर 2014)। साथ ही, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित डीएलसी दरें एक क्षेत्र में आवंटन की न्यूनतम दरें हैं तथा रीको नियमों का नियम 12 (बी-2) कम्पनी को डीएलसी दरों से अधिक आरक्षित मूल्य निर्धारित करने से नहीं रोकता है।

कम्पनी, कम से कम भूमि की पट्टी के आरक्षित मूल्य को क्षेत्र की डीएलसी दर को ध्यान में रखते हुए निर्धारित कर सकती थी। इस प्रकार, इकाई कार्यालय द्वारा भूमि के अनाधिकृत कब्जे के नियमितीकरण पर राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम निर्धारित दरों से कम आरक्षित मूल्य निर्धारित करने के कारण कम्पनी को ₹ 1.73 करोड़<sup>17</sup> की हानि हुई।

सरकार ने कहा (जून 2016) कि भूमि की पट्टी के निस्तारण के लिए आरक्षित मूल्य निर्धारित करते समय डीएलसी दर को ध्यान में रखने का कोई नियम नहीं था। उत्तर सहमतिकाकारक नहीं था क्योंकि इकाई कार्यालय ने ना तो प्रचलित बाजार दरों पर आधारित आरक्षित मूल्य निर्धारित करने के लिए डीएलसी दर को मानदण्ड माना तथा ना ही रीको नियमों के नियम 12(बी-2) में निर्दिष्ट अंतिम नीलामी में प्राप्त उच्चतम नीलामी दर का अनुगमन किया।

15 डीएलसी का अर्थ जिला स्तर समिति है। जिला स्तर समिति ने दिसम्बर 2014 के दौरान पुनरीक्षण के समय पर दरों को अपरिवर्तित रखा।

16 अनुमोदन में विलम्ब चुनाव आयोग द्वारा लागू 'आदर्श आचार संहिता' के कारण हुआ।

17 (₹ 22270 प्रति एसक्यूएम में से ₹ 12000 प्रति एसक्यूएम घटाकर) X 1684 एसक्यूएम।

## राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

### 4.5 हाई क्रोम ग्राइंडिंग मिडिया बॉल्स की अधिक घिसावट दर के पेटे क्षतिपूर्ति की कम वसूली

कम्पनी ने हाई क्रोम ग्राइंडिंग मिडिया बॉल्स की अधिक घिसावट दर के पेटे वसूली की क्षतिपूर्ति के लिए गलत क्रियाविधि अपनाई जिससे ₹ 6.27 करोड़ की क्षतिपूर्ति की कम वसूली हुई।

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (कम्पनी) ने 2011-15 के दौरान विभिन्न निविदाओं<sup>18</sup> के अन्तर्गत अपने तापीय विद्युत संयंत्रों<sup>19</sup> पर कोयले की पिसाई के लिए आर. एन. मैटल्स, जयपुर (आपूर्तिकर्ता) से 8491.98 मिट्रिक टन (एमटी) हाई क्रोम ग्राइंडिंग मिडिया बॉल्स का क्रय किया। कार्यादेशों के 'घिसावट दर गारंटी' एवं 'निष्पादन गारंटी' से संबंधित वाक्यांशों में प्रावधान था कि आपूर्तिकर्ता कोयले की गुणवत्ता पर ध्यान दिये बिना, 110 ग्राम/एमटी पीसे गये कोयले की दर से हाई क्रोम ग्राइंडिंग मिडिया बॉल्स की घिसावट दर<sup>20</sup> की गारंटी देगा। क्रयादेशों में आगे प्रावधान था कि पुरानी ग्राइंडिंग मिडिया बॉल्स को पूरी तरह से खाली करने के बाद एसएसटीपीएस/ केएसटीपीएस/ सीटीपीपी की टेस्ट मिल्स में नई ग्राइंडिंग मिडिया बॉल्स को चार्ज किया जायेगा तथा एक साल की अवधि के लिए उपयोग में लाई गई ग्राइंडिंग मिडिया बॉल्स की केवल एक बार की मात्रा अथवा एक वार्षिक बंदी से अगली वार्षिक बंदी (अधिकतम 15 माह) तक, जो व्यवहार्य हो, के लिए घिसावट की दर की गणना की जायेगी। इस प्रकार गणना की गई घिसावट की दर को, एसएसटीपीएस, केएसटीपीएस एवं सीटीपीपी की परिचालन आवश्यकतानुसार पुरानी सामग्री के साथ अन्य मिल्स में मिश्रित की जा रही सामग्री के निरपेक्ष, क्रयादेश के अन्तर्गत कुल आपूर्तित मात्रा पर लागू की जायेगी। ग्राइंडिंग मिडिया बॉल्स की घिसावट की दर 110 ग्राम/ एमटी से अधिक पाये जाने पर निविदाओं में निम्न में से एक शर्त थी:

- घिसावट दर 110 ग्राम/ एमटी से अधिक होने पर आपूर्तिकर्ता टोपिंग अप के लिए मुफ्त में अतिरिक्त ग्राइंडिंग मिडिया बॉल्स की आपूर्ति करेगा (निविदा नोटिस 101/11);
- अधिक घिसावट दर के पेटे हाई क्रोम ग्राइंडिंग मिडिया बॉल्स के आदेशित लागत की दर से गणना की गई मात्रा के लिए इसकी राशि आपूर्तिकर्ता से वसूल की जायेगी (निविदा नोटिस 104/12);

18 वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2014-15 के दौरान निविदा नोटिस 101/11 (3236.56 एमटी), 2012-13 एवं 2014-15 के दौरान निविदा नोटिस 104/12 (1432.894 एमटी) तथा 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान निविदा नोटिस 108/13 (3822.533 एमटी)।

19 सुरतगढ़ सुपर तापीय विद्युत स्टेशन (एसएसटीपीएस), कोटा सुपर तापीय विद्युत स्टेशन (केएसटीपीएस) तथा छबड़ा तापीय विद्युत परियोजना (सीटीपीपी)।

20 घिसावट दर=[उसी अवधि के दौरान डाली गई बॉल्स सहित टेस्ट मिल में चार्ज की गई बॉल्स का भार- ड्रेनिंग के बाद प्राप्त बॉल्स का भार ]/ उसी अवधि के दौरान पीसे गये कोयले का भार।

- अधिक घिसावट दर के पेटे हाई क्रोम ग्राइंडिंग मिडिया बॉल्स के आदेशित एफओआर<sup>21</sup> मूल्यों के 1.25 गुणा की दर से गणना की गई मात्रा के लिए राशि आपूर्तिकर्ता से वसूल की जायेगी (निविदा नोटिस 108/13)।

हमने देखा (मार्च 2016) कि कम्पनी ने तीन तापीय स्टेशनों पर 114.33 ग्राम/ एमटी एवं 195.28 ग्राम/ एमटी की सीमा में हाई क्रोम ग्राइंडिंग मिडिया बॉल्स की घिसावट की दरें निर्धारित की। तथापि, कम्पनी ने उपभोग में लाई गई अधिक बॉल्स तथा टेस्ट मिल में डाली गई कुल बॉल्स के अनुपात की गणना<sup>22</sup> की तथा इस अनुपात को गारन्टीड घिसावट दर से बॉल्स के अधिक उपभोग के लिए क्षतिपूर्ति की गणना करने के लिए कुल आपूर्तित मात्रा पर लागू किया। क्षतिपूर्ति की गणना करने के लिए कम्पनी द्वारा अपनाई गई यह क्रियाविधि सही नहीं थी क्योंकि अधिक घिसावट दर के लिए क्षतिपूर्ति की गणना उपभोग में नहीं लाई गई बॉल्स के भार को घटाने के बाद की जानी थी जैसा कि घिसावट दर की गणना करने के लिए किया गया। यह क्रियाविधि हाई क्रोम ग्राइंडिंग मिडिया बॉल्स की गारन्टीड घिसावट दर के लिए लागू वाक्यांशों के साथ मेल खाती।

हमने आगे देखा कि कम्पनी के मुख्य लेखाधिकारी (थर्मल डिजाइन) ने भी अधिक घिसावट की दर के पेटे वसूल की जाने वाली क्षतिपूर्ति के लिए अपनाई गई गलत क्रियाविधि के विषय को उठाया (जुलाई 2015)। तथापि, मामले की समीक्षा के लिए गठित (15 दिसम्बर 2015) की गई समिति<sup>23</sup> ने प्रचलित क्रियाविधि को जारी रखने का निश्चय इस आधार पर किया (23 दिसम्बर 2015) कि टोप अप बॉल्स के साथ टेस्ट मिल में डाली गई हाई क्रोम ग्राइंडिंग मिडिया बॉल्स द्वारा प्रारम्भ से ही कोयले की पिसाई में योगदान दिया गया तथा इसलिए, टेस्ट मिल में डाली गई कुल बॉल्स के आधार पर वसूली की राशि की गणना की जाये।

समिति का निर्णय क्रयादेशों के लागू वाक्यांशों पर आधारित नहीं था जहां घिसावट दर की गणना टेस्ट मिल से निकाली गई हाई क्रोम ग्राइंडिंग मिडिया बॉल्स को घटाने के बाद की गई थी। हाई क्रोम ग्राइंडिंग मिडिया बॉल्स की अधिक घिसावट दर के पेटे वसूल की जाने वाली क्षतिपूर्ति के लिए गलत क्रियाविधि अपनाई गई जिसके कारण ₹ 6.27 करोड़ की क्षतिपूर्ति की कम वसूली हुई (अनुबंध-5)।

कम्पनी ने अपने उत्तर (जून 2016) में टेस्ट मिल की कार्यप्रणाली का वर्णन किया तथा समिति के विचारों को दोहराया। कम्पनी ने आगामी उत्तर (जुलाई 2016) में बताया कि विभिन्न विद्युत स्टेशनों द्वारा गत कई वर्षों से इसी क्रियाविधि को अपनाया गया एवं ठेकेदारों से अनुमत्य वसूलियां की गईं। इसने आगे बताया कि मामले की समीक्षा की जा चुकी थी तथा क्रियाविधि एवं की गई वसूलियों को सही माना गया। सरकार ने कम्पनी के उत्तर की पुष्टि की (जुलाई 2016)।

21 फ्री ऑन रेल/ रोड़।

22 (अधिक घिसी हुई बॉल्स की मात्रा /टेस्ट मिल में डाली गई बॉल्स की मात्रा) X क्रयादेश के अंतर्गत आपूर्तित मात्रा।

23 मुख्य अभियंता (केएसटीपीएस), मुख्य अभियंता (ओएण्डएम, एसएसटीपीएस), मुख्य अभियंता (ओएण्डएम, सीटीपीपी), मुख्य लेखा नियंत्रक (केएसटीपीएस), मुख्य लेखा नियंत्रक (प्रधान कार्यालय), मुख्य लेखा नियंत्रक (एसएसटीपीएस) तथा मुख्य लेखाधिकारी (सीटीपीपी)।

## राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड

### 4.6 अविवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन

कोषों को चालू खाते में रखने के कारण कम्पनी को ₹ एक करोड़ के ब्याज की हानि होने के साथ उन उद्देश्यों की पूर्ति भी नहीं हुई जिनके लिये कोष स्वीकृति किये गये थे।

राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड (कम्पनी) जयपुर स्थित होटल स्वासा कोठी तथा उदयपुर स्थित होटल आनंद भवन का संचालन करती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने वर्ष 2013-14 के लिए अपने बजट भाषण में होटल स्वासा कोठी के नवीनीकरण/ उन्नयन के लिए कम्पनी हेतु ₹ 10 करोड़ की राशि की घोषणा की (6 मार्च 2013)। कम्पनी ने पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार (जीओआर) के साथ परामर्श (15 जुलाई 2013) के दौरान राजस्थान आवास विकास एवं ढांचागत लिमिटेड<sup>24</sup> (आरएवीआईएल) के माध्यम से होटल स्वासा कोठी के नवीनीकरण/ उन्नयन के कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण एवं इलैक्ट्रीकल कार्यों को निष्पादित कराने का निश्चय किया।

पर्यटन विभाग ने पांच समान वार्षिक किश्तों में देय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में कम्पनी के निक्षेप जमा (पीडी) खाते में ₹ 10 करोड़ के कोषों के अंतरण की 'प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति' जारी की (25 सितम्बर 2013)। वित्त विभाग, जीओआर, ने भी स्वीकृति जारी की एवं कम्पनी के पीडी खाते में ₹ 10 करोड़ अंतरित किये (3 जनवरी 2014)। स्वीकृति की शर्तों में निर्दिष्ट था कि कोषों को स्वीकृत उद्देश्यों के लिए व्यय करने के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्यों के लिए आहरित नहीं किया जायेगा।

हमने देखा (फरवरी 2016) कि कम्पनी ने होटल स्वासा कोठी के नवीनीकरण/ उन्नयन के लिए कोई योजना नहीं बनाई थी। साथ ही, स्वीकृति की शर्तों के उल्लंघन में तथा बिना वित्त विभाग को बताये, कम्पनी ने पीडी खाते से ₹ 10 करोड़ की सम्पूर्ण राशि आहरित कर ली (31 जनवरी 2014) एवं उसे चालू खाते में जमा करा दिया। कम्पनी ने कोषों को सावधि जमा खाते में निवेश करने के लिए वित्त विभाग से अनुमति मांगी (24 फरवरी 2014)। अनुमति इस आधार पर नहीं दी गई (28 मार्च 2014) कि पर्यटन विभाग/ कम्पनी ने पर्याप्त समय के बावजूद बजट के क्रियान्वयन के लिए कदम नहीं उठाये।

तत्पश्चात्, कम्पनी ने ₹ 10 करोड़ की अनुमानित लागत पर होटल स्वासा कोठी के नवीनीकरण/ उन्नयन के लिए आरएवीआईएल के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये (8 मई 2014) तथा ₹ 1.47 करोड़<sup>25</sup> के कोष जारी किये (2 जून 2014)। शेष ₹ 8.50 करोड़ के कोष चालू खाते में रहे। तत्पश्चात्, कम्पनी ने सावधि खाते में ₹ 7.50 करोड़ निवेश किये (जून 2015) तथा ₹ एक करोड़ के शेष कोषों को दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए उपयोग में ले लिया (जून 2015 से अक्टूबर 2015)।

हमने आगे देखा कि आरएवीआईएल ने होटल स्वासा कोठी के नवीनीकरण/ उन्नयन पर ₹ 10 करोड़ के अनुमानित व्यय के समक्ष केवल ₹ 42.04 लाख के कार्यादेश जारी किये (21 अक्टूबर 2014)। राज्य सरकार द्वारा कम्पनी को बिना पूर्व अनुमति के नवीनीकरण/ उन्नयन

24 राजस्थान सरकार की एक कम्पनी।

25 ₹ 1.50 करोड़ में से ₹ 0.03 करोड़ की स्रोत पर कर की कटौती को घटाकर।

कार्य कराने से मना करने वाले निर्देशों (मई 2015) का हवाला देते हुए कम्पनी ने आरएवीआईएल को अप्रयुक्त राशि को लौटाने का निवेदन किया (28 मई 2015)। आरएवीआईएल ने ₹ एक करोड़ की राशि लौटा दी (18 अगस्त 2015) जिसे कम्पनी द्वारा सावधि जमा खाते में निवेश किया गया (16 अक्टूबर 2015)।

हमने देखा कि:

- कम्पनी, राज्य सरकार द्वारा ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के बावजूद होटल खासा कोठी के नवीनीकरण/ उन्नयन के लिए एक प्रभावी कार्यक्रम को लागू करने में विफल रही।
- कम्पनी ने, स्वीकृति की शर्तों के उल्लंघन में, कोष आहरित किये (जनवरी 2014) तथा वित्त विभाग की अनुमति के बिना इसे सावधि जमा खाते में निवेश किया (जून एवं अक्टूबर 2015)। यदि कम्पनी द्वारा कोषों का आहरण नहीं किया जाता तो राज्य सरकार अन्य परियोजनाओं के लिए इन कोषों का उपयोग कर सकती थी।

आगे यह देखा गया कि आहरण के बाद चालू खाते में कोषों को रखने का कम्पनी का निर्णय भी वित्तीय विवेकशीलता के अनुसार नहीं था क्योंकि कोष 18 माह की अवधि के लिए व्यर्थ पड़े रहे। यदि इन कोषों को चालू खाते के स्थान पर ब्याज वाहक खातों में रखा जाता तो कम्पनी कम से कम ₹ एक करोड़<sup>26</sup> का ब्याज कमा सकती थी।

कम्पनी ने बताया (जुलाई 2016) कि राज्य सरकार ने पीडी खाते से कोषों के आहरण पर कोई शर्त नहीं लगाई थी। साथ ही, ऋण कोष सावधि जमा में निवेश नहीं किये जा सके क्योंकि वित्त विभाग ने इसकी अनुमति प्रदान नहीं की थी। उत्तर सहमतिकारक नहीं था क्योंकि वित्त विभाग द्वारा जारी स्वीकृति की शर्तों में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट था कि कोषों को स्वीकृत उद्देश्यों के लिए खर्च करने के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्यों के लिए आहरित नहीं किया जायेगा। साथ ही, वित्त विभाग के निर्णय को इस तथ्य के संदर्भ में देखा जाना चाहिए था कि वित्त विभाग पीडी खाते से कम्पनी द्वारा कोषों के आहरण के बारे में अनभिज्ञ था।

सरकार ने कम्पनी के उत्तर की पुष्टि की (अगस्त 2016)।

#### राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड

##### 4.7 राज्य सरकार को खनिज अधिकारों पर उपकर का दुगुना भुगतान

खान विभाग द्वारा जारी स्पष्टीकरण पर कार्यवाही नहीं करने के कारण एचजेडएल से क्रय किये गये निम्न ग्रेड रॉक फॉस्फेट पर राज्य सरकार को खनिज अधिकारों पर खनिज उपकर का दुगुना भुगतान।

राजस्थान सरकार (जीओआर) ने समय समय पर अधिसूचित दरों के अनुसार रॉक फॉस्फेट के खनिज अधिकारों (एमआर) पर 'पर्यावरण एवं स्वास्थ्य उपकर' (उपकर) लगाया (फरवरी

26 गणना 8.50 प्रतिशत वार्षिक दर से की गई जिस दर पर कम्पनी द्वारा सावधि जमा खाते में ब्याज कमाया गया। ब्याज की हानि= फरवरी 2014 से मई 2014 की अवधि के दौरान ₹ 10 करोड़ पर ₹ 0.28 करोड़ के ब्याज की हानि तथा जून 2014 से मई 2015 की अवधि के दौरान ₹ 8.50 करोड़ पर ₹ 0.72 करोड़ के ब्याज की हानि।

2008)। जून 2008 में अधिसूचित किये गये एमआर उपकर की लेवी को शासित करने वाले नियमों (राजस्थान पर्यावरण एवं स्वास्थ्य उपकर नियम, 2008) में प्रावधान था कि लेसी द्वारा अधिक भुगतान किये गये उपकर को ऐसे भुगतान की तिथि से एक वर्ष की अवधि में आवेदन करने पर वापस लौटाया जायेगा।

राजस्थान राज्य स्वान एवं स्वनिज लिमिटेड (कम्पनी) ने 2010-13 के दौरान हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (एचजेडएल) से 2.64 लाख मेट्रिक टन<sup>27</sup> निम्न ग्रेड के रॉक फॉस्फेट का क्रय किया। निम्न ग्रेड अयस्क को स्वयं की स्वान द्वारा उत्पादित उच्च ग्रेड के रॉक फॉस्फेट के साथ मिलाकर कम्पनी द्वारा एकरूप ग्रेड (31.5 प्रतिशत) रॉक फॉस्फेट बनाने में प्रयुक्त किया गया। कम्पनी ने एचजेडएल से क्रय किये गये रॉक फॉस्फेट पर इसके द्वारा मिश्रण एवं प्रसंस्करण के बाद विक्रय करने पर उपकर के भुगतान के संबंध में स्वान विभाग, जीओआर से स्पष्टीकरण मांगा (जनवरी 2010)। वित्त विभाग के अनुमोदन के साथ स्वान विभाग ने स्पष्ट किया (फरवरी 2010) कि कम्पनी द्वारा मिश्रित किये गये एवं विक्रय किये गये निम्न ग्रेड अयस्क पर राज्य सरकार को एमआर उपकर के भुगतान का कोई औचित्य नहीं था क्योंकि एचजेडएल पहले से ही एमआर उपकर जमा करा चुकी थी।

हमने देखा (फरवरी 2016) कि कम्पनी ने (2010-11 से 2012-13) क्रय किये गये निम्न ग्रेड अयस्क पर एमआर उपकर के पेटे एचजेडएल को ₹ 13.18 करोड़ चुकाये। कम्पनी ने उपभोक्ताओं को बेचे गये एकरूप ग्रेड रॉक फॉस्फेट की मात्रा पर राज्य सरकार को भी एमआर उपकर चुकाया (2010-11 से 2013-14)। तथापि, कम्पनी ने राज्य सरकार को भुगतान करते समय एचजेडएल को पहले से ही चुकाये गये एमआर उपकर को समायोजित/सेट ऑफ नहीं किया। स्वान विभाग द्वारा जारी किये गये स्पष्टीकरण पर कम्पनी द्वारा कार्यवाही नहीं करने के परिणामस्वरूप एचजेडएल से क्रय किये गये निम्न ग्रेड अयस्क पर एमआर उपकर के पेटे ₹ 9.43 करोड़<sup>28</sup> का भुगतान राज्य सरकार को दो बार कर दिया गया।

कम्पनी ने, चार वर्ष के अंतराल के बाद वित्त विभाग, जीओआर तथा महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, जीओआर (आईजी मुद्रांक) से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा (जनवरी 2014)। आईजी मुद्रांक ने वित्त विभाग को सूचित किया (जून 2014) कि कम्पनी एचजेडएल से क्रय किये गये रॉक फॉस्फेट पर उपकर चुकाने के लिए दायी नहीं थी तथा यह भी स्पष्ट किया कि कम्पनी द्वारा एमआर उपकर के पेटे एचजेडएल को चुकायी गयी राशि सेट ऑफ की जा सकती थी यदि यह राशि कम्पनी ने उपभोक्ताओं से वसूल नहीं की हो। स्पष्टीकरण के आधार पर, कम्पनी ₹ 9.43 करोड़ के एमआर उपकर को लौटाने के लिए आईजी मुद्रांक के पास गई (अक्टूबर 2014)। तथापि, कम्पनी एमआर उपकर का पुनर्भुगतान प्राप्त नहीं कर सकी (फरवरी 2016)। ₹ 9.43 करोड़ के पुनर्भुगतान की संभावनाएं क्षीण थी क्योंकि कम्पनी को राजस्थान पर्यावरण एवं स्वास्थ्य उपकर नियम, 2008 (नियम) के अनुसार भुगतान की तिथि से एक वर्ष के भीतर एमआर उपकर के अधिक भुगतान के पुनर्भुगतान के लिए आवेदन करना आवश्यक था।

27 2010-11 (1471.45 एमटी), 2011-12 (48013.09 एमटी) एवं 2012-13 (214065.77 एमटी)।

28 एमआर उपकर के पेटे ₹ 3.75 करोड़ के भुगतान को शामिल करते हुए निम्न ग्रेड अयस्क को कम्पनी द्वारा विक्रय नहीं किया गया था (फरवरी 2016)।

कम्पनी ने बताया (जून एवं जुलाई 2016) कि निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण के लम्बित रहते हुए, कम्पनी राजस्थान पर्यावरण एवं स्वास्थ्य उपकर नियम, 2008 के नियम 6 के अनुसार ₹ 9.43 करोड़ की सम्पूर्ण भुगतान को समायोजित कर चुकी थी (जून/जुलाई 2016)। उत्तर सहमतिकारक नहीं था क्योंकि:

- नियम 6 द्वारा कम्पनी को दाखिल की गई विवरणी में किसी भूल अथवा गलत तथ्य के मामले में निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण से पूर्व विवरणी को केवल पुनरीक्षित करना अनुमत किया गया। कम्पनी द्वारा स्वतः ही किया गया समायोजन सही नहीं था क्योंकि कम्पनी द्वारा सरकार को किये गये अधिक भुगतान के पुनर्भुगतान का दावा एक वर्ष की अवधि में करना आवश्यक था।
- ऐसा करके कम्पनी ने चालू वित्तीय वर्ष (2016-17) के लिए राज्य सरकार को एमआर उपकर का कम भुगतान किया तथा, इसलिए, लागू नियम 11 के अनुसार शास्ति लगने का जोखिम भी उठाया।

सरकार ने कम्पनी के उत्तर की पुष्टि की (अगस्त 2016)।

#### 4.8 अतिरिक्त व्यय

**कम्पनी ने बिना किसी औचित्य के दरानुबंध को समाप्त किया तथा उच्च दरों पर एडेटिव का क्रय किया जिसके कारण ₹ 37.03 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ।**

राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (कम्पनी) ने 'एडेटिव के रूप में उपयोग के लिए कैल्साइट खनिज' के क्रय के लिए निविदाएं आमंत्रित की (जून 2013) तथा ₹ 786.82 प्रति टन की दर पर 70000 मिट्रिक टन (एमटी) की कुल निविदा मात्रा के लिए निम्नतम (एल-1) निविदादाता (सुरभि प्रोसेस, पाली) को दर अनुबंध प्रदान किया (जनवरी 2014)। सुरभि प्रोसेस द्वारा इस मात्रा को दरानुबंध जारी किये जाने की तिथि से दो वर्षों की अवधि में 35000 एमटी वार्षिक दर से आपूर्ति करना आवश्यक था। तथापि, आपूर्ति की अनुसूची को निर्धारित नहीं किया गया था तथा समय-समय पर कम्पनी द्वारा सूचित मात्रानुसार एडेटिव की आपूर्ति की जानी थी। एल-1 निविदादाता के साथ दरानुबंध के अतिरिक्त, कम्पनी ने एल-2 निविदादाता (कल्पना मिनरल्स एण्ड केमिकल्स, उदयपुर) के साथ एक समानांतर दरानुबंध के लिए संभावनाएं भी तलाश की (दिसम्बर 2013) ताकि निर्बाध आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा सके क्योंकि एल-1 निविदादाता कम्पनी के लिए एक नया आपूर्तिकर्ता था। तथापि, समानांतर दरानुबंध को मूर्त रूप नहीं दिया जा सका क्योंकि कल्पना मिनरल्स, कम्पनी द्वारा प्रस्तावित 25 प्रतिशत के स्थान पर कुल निविदा की 50 प्रतिशत मात्रा की आपूर्ति करने की शर्त पर एल-1 निविदादाता की दर को स्वीकार करने के लिए सहमत हुआ था।

सुरभि प्रोसेस की आपूर्ति संतोषजनक नहीं थी तथा इसके परिणामतः कम्पनी ने फिर से कल्पना मिनरल्स को एल-1 दर का प्रस्ताव दिया (मार्च 2014)। मोलभाव के दौरान (मार्च 2014), कल्पना मिनरल्स ने कुल निविदा मात्रा की कम से कम 35 प्रतिशत (24500 एमटी) के लिए आपूर्ति आदेश दिये जाने पर जोर दिया। तथापि, कम्पनी ने एल-1 निविदादाता की दर पर केवल 13125 एमटी (18.75 प्रतिशत) एडेटिव की आपूर्ति के लिए दरानुबंध प्रदान किया (जुलाई 2014)। कल्पना मिनरल्स को 8750 एमटी वार्षिक दर से 23 दिसम्बर 2015 तक

सामग्री की आपूर्ति करनी थी। साथ ही, सुरभि प्रोसेस का दरानुबंध 56875 एमटी तक घटा दिया गया था (जुलाई 2014)।

कम्पनी ने देखा (मार्च 2015) कि सुरभि प्रोसेस 'क्रीस्टलाइन मेटामोर्फज्ड केल्साइट एडेटिव' के नाम में स्वान एवं भूविज्ञान निदेशालय (डीएमजी) द्वारा जारी किये गये 'रवन्ना'<sup>29</sup> को संलग्न करके एडेटिव की आपूर्ति कर रहा था जिसमें स्वनिज का नाम 'मार्बल स्वण्डा' के रूप में दर्शाया गया था। सुरभि प्रोसेस द्वारा आपूर्तित एडेटिव दरानुबंध में दर्शाये गये विशिष्ट विवरणों से मेल खाता था।

कम्पनी ने डीएमजी को एडेटिव का विवरण (रासायनिक एवं भौतिक विशिष्ट विवरण) प्रस्तुत किया (अप्रैल 2015) तथा पूछा (अप्रैल 2015) कि क्या 'मार्बल स्वण्डा' स्वनिज के लिए जारी किये गये 'रवन्ना' के अन्तर्गत सुरभि प्रोसेस द्वारा एडेटिव की आपूर्ति के कारण राज्य सरकार को रॉयल्टी के रूप में राजस्व की हानि हुई। डीएमजी ने उत्तर दिया (मई 2015) कि 'मार्बल स्वण्डा' स्वनिज के लिए आवंटित खनन लीज से केल्साइट स्वनिज की आपूर्ति को वैध नहीं माना जा सकता था।

कम्पनी ने डीएमजी से प्राप्त जवाब के आधार पर दोनों फर्मों के दर अनुबंधों को समाप्त कर दिया (जून 2015) तथा एडेटिव के विशिष्ट विवरण देते हुए तथा केल्साइट स्वनिज का नाम दर्शाए बिना नई निविदाएं आमंत्रित की (जून 2015)। अनुबंधों को समाप्त किये जाने तक सुरभि प्रोसेस एवं कल्पना मिनरल्स क्रमशः 14283 एमटी तथा 6495 एमटी एडेटिव की आपूर्ति कर चुकी थी। निविदाओं के आधार पर, एक बार फिर ₹ 1050 प्रति एमटी की दर पर 21000 एमटी तथा 9000 एमटी एडेटिव की आपूर्ति के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए क्रमशः सुरभि प्रोसेस एवं कल्पना मिनरल्स को दरानुबंध प्रदान किये (सितम्बर 2015)। इसी दौरान, कम्पनी ने सीमित निविदा पूछताछ के माध्यम से ₹ 1100 प्रति एमटी की दर से महावीर मिनरल्स से 2500 एमटी एडेटिव का क्रय भी किया (अगस्त 2015)।

हमने देखा (फरवरी 2016) कि सुरभि प्रोसेस (जनवरी/ जुलाई 2014) एवं कल्पना मिनरल्स (जुलाई 2014) के साथ किये गये प्रारम्भिक दर अनुबंधों में आपूर्तिकर्ताओं द्वारा 'रवन्ना' की प्रस्तुति के संबंध में कोई प्रावधान नहीं डाला गया था। कम्पनी इस तथ्य के बारे में अच्छी तरह से जानती थी कि सुरभि प्रोसेस एक व्यापारिक फर्म थी जबकि कल्पना मिनरल्स अपनी स्वयं की खानों से एडेटिव की आपूर्ति कर रही थी। सुरभि प्रोसेस का दर अनुबंध समाप्त करने का कम्पनी का निर्णय न्यायोचित था क्योंकि डीएमजी के जवाबानुसार इसमें कानूनी जटिलताएं पैदा हो सकती थी। तथापि, कल्पना मिनरल्स का दरानुबंध समाप्त करने का निर्णय विवेकपूर्ण नहीं था क्योंकि यह केल्साइट स्वनिज के नाम में एडेटिव की आपूर्ति कर रही थी तथा इसकी आपूर्ति की स्थिति संतोषजनक थी। साथ ही, कम्पनी ने आगामी निविदाओं में उच्चतर दरों पर दोनों फर्मों से वही एडेटिव क्रय किया।

यदि कम्पनी, दर अनुबंध को समाप्त करने के स्थान पर कल्पना मिनरल्स से एडेटिव की 35 प्रतिशत (24500 एमटी) न्यूनतम मात्रा क्रय करती जैसा कि इसके द्वारा जोर दिया गया था

29 राजस्थान स्वनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं संग्रहण की रोकथाम) नियम, 2007 के नियम 2 (i) के अनुसार रवन्ना का आशय वैध खनन पट्टे से स्वनिज के प्रेषण के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले एक चालान से है। यह स्वान एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा जारी किया जाता है।

तो कम्पनी महावीर मिनरल्स से सीमित निविदा पूछताछ एवं सुरभि प्रोसेस से नई निविदा के माध्यम से क्रय करने पर हुए ₹ 37.03 लाख<sup>30</sup> के अतिरिक्त व्यय को टाल सकती थी।

कम्पनी ने बताया (जून 2016) कि कल्पना मिनरल्स के समानांतर दरानुबंध को समाप्त करना एल-1 निविदादाता के दरानुबंध की समाप्ति के समय विवेकपूर्ण माना गया था क्योंकि इसे एक समान नियम एवं शर्तों पर प्रदान किया गया था जैसा कि एल-1 निविदादाता को प्रदान किया गया तथा यदि ऐसा नहीं किया जाता तो यह सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्न उठा सकती थी। आगे यह भी बताया कि कम्पनी ने कल्पना मिनरल्स को केवल 25 प्रतिशत मात्रा का प्रस्ताव करने का निश्चय किया था तथा इस प्रकार 35 प्रतिशत मात्रा जैसा कि कल्पना मिनरल्स द्वारा निवेदन किया गया था उसे प्रदान नहीं की जा सकती थी। इसके साथ ही, भारतीय मानक ब्यूरो (आईबीएम) ने रॉयल्टी की दर ₹ 55.50 प्रति एमटी से बढ़ाकर ₹ 120 प्रति एमटी कर दी (अप्रैल 2015) जिसने केल्साइट की लागत को बढ़ा दिया।

उत्तर सहमतिकारक नहीं था क्योंकि दोनों अनुबंध एक दूसरे से स्वतंत्र थे। कल्पना मिनरल्स को केवल 13125 एमटी के लिए दरानुबंध दिये जाने का कम्पनी का निर्णय सुरभि प्रोसेस की असंतोषजनक आपूर्ति के मद्देनजर न्यायोचित नहीं था। साथ ही, अप्रैल 2015 से आईबीएम द्वारा रॉयल्टी की दर में वृद्धि केवल ₹ 64.50 प्रति एमटी थी तथा इसके प्रभाव (₹ 11.61 लाख<sup>31</sup>) को पहले ही गणना में शामिल कर लिया गया।

सरकार ने कम्पनी के उत्तर की पुष्टि की (अगस्त 2016)।

## राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड

### 4.9 रोड ओवर ब्रिज की एप्रोच वॉल का ढहना

निगरानी के अभाव एवं सामग्री, मैसनरी व निर्माण तकनीकों की निम्न गुणवत्ता के कारण हिण्डोन-गंगापुर सिटी रोड़ पर रोड ओवर ब्रिज की एप्रोच वॉल ढह गई। इसके कारण लोक धन का अपव्यय हुआ तथा सुधार कार्य के पेटे कम्पनी पर ₹ 5.19 करोड़ का अतिरिक्त दायित्व उत्पन्न हुआ।

राजस्थान सरकार (जीओआर) ने हिण्डोन-गंगापुर सिटी रोड़ पर 'रोड ओवर ब्रिज' (आरओबी) के निर्माण का कार्य ₹ 21.57 करोड़ की स्वीकृत<sup>32</sup> लागत पर राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड (कम्पनी) को सौंपा (मार्च 2006)। कम्पनी ने 28 फरवरी 2009 तक पूर्णता की अनुसूचित तिथि के साथ भगत कॉन्ट्रेक्टर्स, करोली (ठेकेदार) को कार्यादेश जारी किया (मार्च 2008)। कार्य ₹ 21.56 करोड़ की लागत पर पूरा किया गया

30 ₹ 7.83 लाख का अतिरिक्त व्यय [2500 एमटी गुणा (₹ 1100 प्रति एमटी – ₹ 786.82 प्रति एमटी)] सीमित निविदा पूछताछ के माध्यम से महावीर मिनरल्स से एडेटिव के क्रय पर तथा ₹ 40.81 लाख का अतिरिक्त व्यय [(24500 एमटी – 6495 एमटी - 2500 एमटी) गुणा (₹ 1050 प्रति एमटी – ₹ 786.82 प्रतिएमटी)] नई निविदा में सुरभि प्रोसेस से एडेटिव के क्रय पर – आईबीएम द्वारा रॉयल्टी में वृद्धि के कारण ₹ 11.61 लाख।

31 ₹ 64.50 प्रति एमटी गुणा (24500 एमटी – 6495 एमटी)।

32 जीओआर ने प्रारम्भ में (मार्च 2006) में ₹ 10 करोड़ स्वीकृत किये जो जून 2010 में ₹ 16.75 करोड़ पुनरीक्षित किये तथा मार्च 2013 में ₹ 21.57 करोड़ किये।

(फरवरी 2014) तथा आरओबी पर 17/18 फरवरी 2014 से यातायात संचालन प्रारम्भ हो गया। तथापि, आरओबी का मैसनरी रिटेनिंग वॉल का कुछ भाग ठीक अगले ही दिन (19 फरवरी 2014) ढ़ह गये। दोषी अभियंताओं, जिन्होंने ठेकेदार के निम्न गुणवत्ता के मैसनरी कार्य को प्रमाणित किया था, को निलम्बित कर दिया गया (फरवरी 2014) तथा जांच का नतीजा कार्मिक विभाग (जीओआर) के स्तर पर लम्बित था (जुलाई 2016)। कार्यस्थल का निरीक्षण (i) 19 फरवरी 2014 को मुख्य अभियंता, (राष्ट्रीय राजमार्ग), लोक निर्माण विभाग, जीओआर (ii) 24 फरवरी 2014 को मुख्य परियोजना प्रबंधक (कोटा इकाई) तथा (iii) 25 जून 2014 को मालवीय राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान (एमएनआईटी), जयपुर के एक विशेषज्ञ समूह द्वारा किया गया।

मुख्य अभियंता तथा मुख्य परियोजना प्रबंधक के निरीक्षण प्रतिवेदनों में दर्शाया गया था कि अधिकांश पत्थर बहुत कम गारे के साथ सूखे ही लगाने, गारे की गुणवत्ता अच्छी नहीं होने एवं पत्थरों के मध्य किसी बंध के बिना पत्थरों को उबड़ खाबड़ रखने; पत्थरों के उर्ध्वाधर जोड़ों को ठीक से नहीं लगाने के साथ चिनाई कार्य की गुणवत्ता बहुत खराब थी तथा चिनाई भू-दाब को सहन नहीं करने एवं कम शक्ति के कारण ढ़ह गई। एमएनआईटी जिसने कार्यस्थल का विस्तृत निरीक्षण किया ने प्रतिवेदित किया (सितम्बर 2014) कि लगभग सभी जोड़ कमजोर थे; सूखी स्थिति के साथ साथ बिना यातायात के भी मिट्टी पुनर्भराव द्वारा डाले गये दाब को झेलने के लिए एप्रोच वॉल सेक्शन इतने मजबूत नहीं थे तथा किसी भी समय ढ़ह सकते थे। अनावरण से वॉल की भौतिक स्थिति में गिरावट की संभावना नहीं थी क्योंकि आरओबी नया बनाया गया था एवं घटिया निर्माण, कारीगरी, सामग्री एवं निर्माण तकनीकों की गुणवत्ता के कारण कई स्थानों पर दरारें पड़ी हुई थी। एमएनआईटी ने उपयुक्त रूप से डिजाइन की गई नई आरसीसी<sup>33</sup> रिटेनिंग वॉल के निर्माण की सिफारिश की।

एमएनआईटी की सिफारिशों के आधार पर कम्पनी के निदेशक मण्डल ने मरम्मत कार्य कराने के लिए अपने कोषों से ₹ 5.75 करोड़ के अतिरिक्त व्यय करने के लिए मंजूरी प्रदान की (जनवरी 2015)। सलाहकार<sup>34</sup> द्वारा तैयार किये गये एप्रोच वॉल के प्रस्तावित सुधार कार्य के लिए ढ़ांचागत डिजाइन एवं ड्रॉइंग, एमएनआईटी द्वारा विधिवत रूप से जांचकर प्रस्तुत किये गये (मार्च 2015)। डिजाइन एवं ड्रॉइंग के अनुसार, सात मीटर से अधिक उंचाई की मौजूदा चिनाई वॉल्स को पूरी तरह से हटाने के बाद नई आरसीसी रिटेनिंग वॉल्स द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना था। पांच मीटर से अधिक उंचाई की चिनाई वॉल्स का सुधार कार्य प्रथम चरण में करवाने तथा चार से पांच मीटर उंचाई की चिनाई वॉल्स एवं सर्विस रोड का पुनर्निर्माण द्वितीय चरण में करवाने का निश्चय किया गया (अप्रैल 2015)। प्रथम चरण के लिए सुधार कार्य की अनुमानित लागत ₹ 7.83 करोड़ की गणना की गई (सीमेंट को घटाने के बाद ₹ 5.50 करोड़)।

कम्पनी ने प्रथम चरण के लिए निविदा आमंत्रित की (जून 2015) तथा ₹ 4.82 करोड़ (सीमेंट के अतिरिक्त) की लागत पर निम्नतम निविदादाता के पक्ष में कार्यादेश जारी किया (अगस्त 2015)। कम्पनी ने सुधार कार्य के पेटे ₹ 5.19 करोड़ का व्यय किया (जुलाई 2016)। प्रथम चरण की अनुमानित लागत को ₹ 6.75 करोड़ तक संशोधित किया गया तथा लोक निर्माण

33 रीइंफोर्सड सीमेंट कंक्रीट।

34 थोटस कंस्लटेंटस जयपुर प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर।

विभाग (जीओआर) को स्वीकृति एवं कोषों को जारी करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया (अक्टूबर 2015)। तथापि, अनुमोदन प्रतीक्षित था (जुलाई 2016)।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने उजागर किया (नवम्बर 2015) कि आरओबी के निर्माण का कार्य दौसा इकाई के परियोजना निदेशक द्वारा नियमित रूप से पर्यवेक्षित किया गया तथा कार्य निष्पादन के दौरान कम्पनी के महाप्रबंधक एवं उपमहाप्रबंधक द्वारा भी निरीक्षण किये गये। तथापि, परियोजना निदेशक एवं निरीक्षण टीमों ने ठेकेदार द्वारा निष्पादित किये जा रहे कार्य की घटिया गुणवत्ता से संबंधित किसी मामले को नहीं उठाया। कार्य की घटिया गुणवत्ता को जांच टीमों द्वारा एप्रोच वॉल्स के ढहने के बाद बताया गया।

इस प्रकार, यह स्पष्ट था कि ठेकेदार द्वारा गुणवत्ता कार्य के निष्पादन के साथ साथ कम्पनी द्वारा परियोजना कार्य की निगरानी में विफलताएं थी। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, परियोजना विशिष्ट विवरणानुसार, ठेकेदार द्वारा कार्य के निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसका परिणाम आरओबी की एप्रोच वॉल्स ढहने के अतिरिक्त दीवार के निर्माण पर लोक धन के अपव्यय के रूप में हुआ। कम्पनी पर सुधार कार्य के पेटे (जुलाई 2016 तक) ₹ 5.19 करोड़ के अतिरिक्त दायित्व का भार भी पड़ा। प्रथम चरण में सुधार कार्य के पेटे कम्पनी का दायित्व तैयार किये गये अनुमानों एवं वित्त विभाग को प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों के अनुसार ₹ 6.75 करोड़ तक बढ़ सकता है। द्वितीय चरण में किये जाने वाले कार्यों के अतिरिक्त दायित्व की गणना अभी तक नहीं की गई थी (जुलाई 2016)।

कम्पनी ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया (मार्च 2016) कि प्रस्तावित व्यय अपरिहार्य था क्योंकि आरओबी की एप्रोच वॉल्स का सुधार कार्य यातायात संचालन को व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक था। तथापि, तथ्य यही रहा कि स्वराब पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता मामलों ने कम्पनी पर सुधार कार्य के पेटे अतिरिक्त दायित्व का भार डाला जो संरचना की शक्ति को बनाये रखने के लिए आवश्यक था। सरकार ने कम्पनी के उत्तर की पुष्टि की (मई 2016)।

हम सिफारिश करते हैं कि कम्पनी को पदस्थ अभियंताओं द्वारा निरीक्षण/ पर्यवेक्षण गुणवत्ता के संबंध में अपनी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सशक्त बनाना चाहिए। हम यह भी सिफारिश करते हैं कि निर्दिष्ट एजेंसियों द्वारा एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष निरीक्षण होना चाहिए।

## सांविधिक निगम

### राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

**4.10 राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारन्टी अधिनियम, 2011 के अंतर्गत रेडियो आवृत्ति पहचान पत्र जारी करना**

#### 4.10.1 परिचय

राजस्थान सरकार (राज्य सरकार) ने एक निर्दिष्ट समय सीमा में राज्य की जनता को निश्चित सेवाओं को प्रदान करने के लिए 'राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारन्टी

अधिनियम, 2011' (अधिनियम) लागू किया (सितम्बर 2011)। राज्य सरकार ने इस संबंध में 'राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारन्टी नियम, 2011' (नियम) भी अधिसूचित किये (अक्टूबर 2011)।

अधिनियम की धारा 4 में प्रावधान है कि नामित अधिकारी निर्दिष्ट समय में सेवा प्राप्त करने के लिए योग्य व्यक्ति को अधिसूचित सेवा उपलब्ध कराएगा। यदि किसी व्यक्ति को निर्दिष्ट समय में सेवा उपलब्ध नहीं कराई गई तो वह व्यक्ति निर्दिष्ट समय सीमा की समाप्ति अथवा आवेदन के अस्वीकार होने के 30 दिन में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपील दर्ज करा सकता है। प्रथम अपील के निर्णय की तिथि से 60 दिनों की अवधि में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील भी की जा सकती है। जहां द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी की यह राय हो कि नामित अधिकारी सेवा उपलब्ध कराने में विफल रहा है अथवा पर्याप्त तथा उचित कारण के बिना सेवा उपलब्ध कराने में विलम्ब किया गया है तो वह अधिनियम की धारा 7 के अनुसार ₹ 500 से ₹ 5000 के मध्य एकमुश्त जुर्माना लगा सकता है जो कि नामित अधिकारी के वेतन से वसूलनीय होगा।

अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत राज्य सरकार ने अतिरिक्त सेवाएं अधिसूचित की (27 जून 2012) जिनमें 18<sup>35</sup> श्रेणी के व्यक्तियों को मुफ्त / रियायती यात्रा के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (निगम) द्वारा पहचान पत्र जारी करने/ नवीनीकरण करने को सम्मिलित किया गया। निगम ने रेडियो आवृत्ति पहचान कार्ड (आरएफआईडी) को जारी करके अधिसूचित श्रेणी के व्यक्तियों को मुफ्त/ रियायती यात्रा सुविधा अनुमत की।

**4.10.2** वर्तमान अध्ययन यह आंकलन करने के लिए किया गया (जनवरी 2016 से मार्च 2016) कि क्या निगम द्वारा वर्ष 2014-15 से 2015-16 (20 नवम्बर 2015 तक) के दौरान अधिनियम में नियत निर्दिष्ट समयावधि में आरएफआईडी कार्ड जारी किये गये थे। लेखापरीक्षा क्षेत्र में अभिलेखों के संधारण एवं सूचना बोर्ड पर सूचना के प्रदर्शन के संबंध में निगम द्वारा अधिनियम के अन्य प्रावधानों की अनुपालना के निर्धारण को भी सम्मिलित किया गया। लेखापरीक्षा परिणामों को निगम के उत्तरों (अगस्त 2016) को ध्यान में रखते हुए अन्तिम रूप दिया गया। सरकार द्वारा निगम के विचारों की पुष्टि की गई (सितम्बर 2016)।

**4.10.3** निगम द्वारा 2014-15 से 2015-16 (20 नवम्बर 2015 तक) की अवधि के दौरान 275982 आरएफआईडी कार्ड जारी किये गये। आरएफआईडी कार्ड जारी करने में निगम के निष्पादन का विश्लेषण करने के लिए प्रधान कार्यालय तथा 57 डिपोज में से छः<sup>36</sup> डिपोज का चयन किया गया। लेखापरीक्षा अवधि के दौरान डिपोज द्वारा जारी किये गये कार्ड की संख्या को

35 (i) पत्रकार, (ii) स्वतंत्रता सेनानी, (iii) स्वतंत्रता सेनानी की विधवा, (iv) शहीद की विधवा एवं उनके अवयस्क आश्रित, (v) राज्य की अनुसूचित जनजाति एवं आठवीं कक्षा तक पढ़ने वाली जनजातीय लड़कियां, (vi) पदम पुरस्कृत, (vii) दृष्टिबाधित, (viii) शारीरिक असक्षमता/ चलने में असमर्थ, (ix) श्रवण बाधित, (x) मानसिक असक्षमता, (xi) कम दृष्टि (xii) मानसिक रोगी, (xiii) कुष्ठ मुक्त रोगी, (xiv) राज्य के अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता (xv) पुलिस शौर्य के लिए राष्ट्रपति मेडल अथवा शौर्य के लिए पुलिस मेडल विजेता व्यक्ति (xvi) विद्यार्थी (xvii) राष्ट्रीय अथवा राज्य पुरस्कार विजेता राज्य के अध्यापक, तथा (xviii) वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष से अधिक)।

36 झुंझुनूं, श्रीगंगानगर, कोटपुतली, दिल्ली, विद्याधर नगर एवं डीलक्स डिपो।

डिपोज के चयन का प्राथमिक आधार बनाया गया। छः डिपोज में से, तीन<sup>37</sup> डिपोज (श्रीगंगानगर, कोटपुतली एवं झुंझुनूं) को उनके द्वारा जारी किये गये कार्ड की अधिकतम संख्या के आधार पर चुना गया। शेष तीन डिपोज (विद्याधरनगर, दिल्ली एवं डीलक्स) को उनके द्वारा जारी किये गये कार्ड की न्यूनतम संख्या के आधार पर चुना गया। इस प्रकार, हमारी संवीक्षा में 2014-15 से 2015-16 (20 नवम्बर 2015 तक) की अवधि के दौरान निगम द्वारा जारी किये गये 275982 आरएफआईडी कार्ड में से 33079 (11.99 प्रतिशत) के विश्लेषण को सम्मिलित किया गया जो निम्नानुसार था:

(आंकड़े संख्या में)

वर्ष	प्रधान कार्यालय	डीलक्स	श्रीगंगानगर	झुंझुनूं	कोटपुतली	विद्याधर नगर	दिल्ली	कुल
2014-15	261	241	7462	6061	5853	1	2	19881
2015-16	312	166	3653	3750	5316	0	1	13198
कुल	573	407	11115	9811	11169	1	3	33079

#### 4.10.4 आरएफआईडी कार्ड जारी/नवीनीकरण करने की प्रक्रिया

आरएफआईडी कार्ड जारी/ नवीनीकरण करवाने के लिए अधिनियम तथा नियमों में निर्धारित फीस एवं सहायक प्रलेखों के साथ निगम द्वारा निर्धारित फॉर्म में आवेदन करना आवश्यक है। निगम को नियमों में निर्धारित फॉर्म-1 में आवेदन पत्र की पावती उपलब्ध करानी होती है। पावती में आवेदक का नाम एवं पता, नामित अधिकारी द्वारा आवेदन की प्राप्ति की तिथि, सेवा का नाम जिसके लिए आवेदन किया गया था, आवेदन पत्र के साथ नहीं लगाये गये आवश्यक प्रलेख एवं निर्दिष्ट समय सीमा की अंतिम तिथि को दर्शाया जायेगा। यदि, आवेदक ने सभी आवश्यक प्रलेख संलग्न नहीं किये हो, तब नामित अधिकारी निर्दिष्ट समय सीमा की अंतिम तिथि को नहीं दर्शायेगा।

निगम द्वारा आरएफआईडी कार्ड तैयार करने की प्रक्रिया में डिपो स्तर पर ऑनलाइन आरएफआईडी मॉड्यूल में हिताधिकारी के विवरणों की प्रविष्टि; प्रधान कार्यालय स्तर पर स्थित आईटी प्रकोष्ठ को विवरण अग्रेषित करना; आईटी प्रकोष्ठ द्वारा विवरणों का सत्यापन; आरएफआईडी कार्ड को तैयार करने के लिए सेवा प्रदाता को विवरण भेजना; सेवा प्रदाता द्वारा आरएफआईडी कार्ड की छपाई; आरएफआईडी कार्ड की प्राप्ति पर आईटी प्रकोष्ठ द्वारा मास्टर डाटा में सेवा प्रदाता द्वारा प्रविष्टि विवरणों की पुनः जांच; तथा हिताधिकारी को आरएफआईडी कार्ड जारी करना शामिल हैं।

#### लेखापरीक्षा परिणाम

#### 4.10.5 उचित अभिलेखों का अभाव/ रखरखाव नहीं करना

नियम 17 में नामित अधिकारी को फॉर्म-3 में एक रजिस्टर संधारित करना था जिसमें आवेदक के नाम एवं पते, सेवा का नाम जिसके लिए आवेदन किया गया था, निर्दिष्ट समय सीमा की

37 सीबीएस जयपुर एवं सीकर डिपोज आरएफआईडी कार्ड की अधिकतम संख्या के जारी करने के पदानुक्रम में आगे थे लेकिन ये डिपोज 'निगम द्वारा टिकटिंग प्रणाली एवं अन्य गतिविधियों के कम्प्यूटरीकरण पर निष्पादन लेखापरीक्षा (आईटी)' के लिए चयनित किये गये। अतः, सीबीएस जयपुर एवं सीकर डिपोज के स्थान पर झुंझुनूं डिपो का चयन किया गया।

अंतिम तिथि; आवेदन पत्र अनुमत करने/नहीं करने; तथा आदेश पारित करने के विवरण एवं तिथि को दर्शाया जायेगा।

हमने देखा कि प्रधान कार्यालय एवं डिपोज पर नामित अधिकारी ने फॉर्म-3 में एक रजिस्टर संधारित नहीं किया। प्रधान कार्यालय एवं डिपोज पर संधारित किये गये अभिलेखों (आवेदन पत्र एवं प्रासंगिक सहायक अभिलेख) की स्थिति निम्नानुसार थी:

प्रासंगिक सहायक अभिलेख	प्रधान कार्यालय	कोटपुतली	झुंझुनूं	श्रीगंगा नगर	विद्याधर नगर	दिल्ली	डीलक्स
आरएफआईडी कार्ड के लिए आवेदन पत्र	✓	x	x	✓	x	✓	✓
आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये सहायक प्रलेख	✓	x	✓	✓	x	✓	✓

डिपोज द्वारा अभिलेखों के रखरखाव की स्थिति खराब थी। कोटपुतली डिपो ने आवेदक से प्राप्त आवेदन पत्रों एवं सहायक प्रलेखों का कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया। विद्याधर नगर डिपो ने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान केवल एक कार्ड जारी किया लेकिन डिपो अधिकारीगण ऐसे किसी कार्ड के जारी होने के बारे में अनभिज्ञ थे। यह भी सूचित किया गया कि डिपो स्तर पर कोई कार्ड जारी नहीं किया गया। झुंझुनूं डिपो ने आरएफआईडी कार्ड को तैयार करने के लिए किसी आवेदन पत्र के बिना सीधे ही सहायक प्रलेख प्राप्त किये। प्रधान कार्यालय तथा शेष डिपोज (दिल्ली के अतिरिक्त) ने आवेदकों से आवेदन पत्र एवं सहायक प्रलेख प्राप्त किये लेकिन वे एक कार्ड विशेष की सत्यता की पुष्टि करने के लिए प्रलेखों को एक क्रमबद्ध तरीके में लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करा सके।

निगम ने स्वीकार किया कि कोटपुतली, झुंझुनूं एवं विद्याधरनगर डिपोज ने आरएफआईडी कार्ड को जारी करने के उचित अभिलेख संधारित नहीं किये। निगम द्वारा सभी डिपोज के मुख्य प्रबंधकों को उचित अभिलेख संधारित करने के लिए निर्देश जारी किये गये (जून 2016)।

#### 4.10.6 आरएफआईडी कार्ड जारी करने में विलम्ब

आवेदनों, सहायक अभिलेखों एवं फॉर्म-3 में संधारित किये जाने वाले रजिस्टर के अभाव में, निगम द्वारा हिताधिकारियों को समय पर आरएफआईडी कार्ड जारी किये जाने का सत्यापन करना व्यवहार्य नहीं था। इसलिये, हमने निगम से आरएफआईडी कार्ड के डिजिटल डाटा प्राप्त किये तथा इनका इंटरएक्टिव डाटा एक्सट्रैक्शन एण्ड एनालेसिस (आईडीईए) सॉफ्टवेयर के माध्यम से विश्लेषण किया। आवेदन पत्र की प्राप्ति की वास्तविक तिथि के अभाव में; नामित अधिकारी द्वारा पारित किये गये आदेश की तिथि, यदि कोई हो, एवं आरएफआईडी कार्ड को सौंपने की वास्तविक तिथि, डाटा प्रविष्ट करने की तिथि एवं एजेंसी (ट्राइमेक्स आईटी इन्फ्रा एण्ड सर्विस लिमिटेड) द्वारा कार्ड के एक्टीवेशन की तिथि को आरएफआईडी कार्ड को जारी करने में निहित समयावधि की गणना के लिए कट ऑफ तिथि के रूप में मान लिया गया।

अधिनियम में, नामित अधिकारी को आवेदकों को आरएफआईडी कार्ड जारी करने के लिए उनके द्वारा प्रलेखों की प्रस्तुति की तिथि से तीन दिन की समयावधि प्रदान की गई। तथापि, निगम ने आरएफआईडी कार्ड तैयार करने के लिए नामांकित एजेंसी को कार्ड जारी करने के लिए आवेदकों को उपलब्ध करायी जाने वाली पावती रसीद पर 14 दिन की समयावधि दर्शाने का निर्देश दिया (अप्रैल 2013)। तथापि, हमने पांच कैलेण्डर दिवसों (तीन कार्य दिवस एवं दो

अवकाश) को ध्यान में रखते हुए आरएफआईडी कार्ड जारी करने में विलम्ब की गणना की। यदि आवेदन की प्राप्ति की वास्तविक तिथि एवं नामित अधिकारी द्वारा पारित किये गये आदेश की तिथि विश्लेषण के लिए उपलब्ध होती तब वास्तविक विलम्ब बहुत अधिक होता। निगम ने आवेदकों को पंजीयन रसीद के आधार पर यात्रा करने की अनुमति प्रदान की (सितम्बर 2013)। तथापि, अगस्त 2014 से यह सुविधा समाप्त कर दी गई तथा जब तक आवेदकों के पास आरएफआईडी कार्ड नहीं हो वे यात्रा नहीं कर सकते थे।

डाटा विश्लेषण ने उजागर किया कि 2014-15 से 2015-16 (20 नवम्बर 2015 तक) की अवधि के दौरान प्रधान कार्यालय तथा चयनित डिपोज द्वारा जारी किये गये 33079 आरएफआईडी कार्ड में से 249 आरएफआईडी कार्ड क्षतिग्रस्त/ दोहरी छपाई के कारण निरस्त कर दिये गये। शेष 32830 कार्ड के विश्लेषण ने उजागर किया कि अधिनियम में निर्धारित की गई निर्दिष्ट समयावधि में हिताधिकारियों को कार्ड जारी करने में निगम का कार्य निष्पादन निराशाजनक था क्योंकि केवल 125 कार्ड पांच कैलेण्डर दिनों में जारी किये गये। शेष 32705 (99.62 प्रतिशत) कार्ड एक से 543 दिनों के विलम्ब से जारी किये गये। अधिकांश मामलों (69.51 प्रतिशत) में विलम्ब छः से 15 दिनों के मध्य रहा एवं इसके पश्चात 17.89 प्रतिशत मामलों में 16 से 30 दिनों तथा 11.69 प्रतिशत मामलों में एक से पांच दिनों के मध्य विलम्ब रहा।

विलम्ब 100 दिनों से अधिक के मामलों के विश्लेषण पर उजागर हुआ कि 36 मामलों में 101 से 200 दिनों के मध्य विलम्ब, 36 मामलों में 201 से 300 दिनों के मध्य विलम्ब, 17 मामलों में 301 से 400 दिनों के मध्य विलम्ब तथा 10 मामलों में 400 से अधिक दिनों का विलम्ब देखा गया।

कुछ चयनित श्रेणियों के आरएफआईडी कार्ड को जारी करने में निगम का कार्य निष्पादन नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:

श्रेणी	जारी किये गये आरएफआईडी कार्ड की कुल संख्या	विलम्ब से जारी किये गये आरएफआईडी कार्ड	विलम्ब दिनों में			
			1-5	6-15	16-30	30 से अधिक
शहीद की विधवा एवं उनके अवयस्क आश्रित	56	55	11	33	11	0
दृष्टिबाधित	128	124	20	92	12	0
शारीरिक असक्षमता/ चलने में असमर्थ	2206	2162	356	1455	329	22
श्रवण बाधित	178	177	32	118	25	2
मानसिक असक्षमता	115	114	21	77	16	0
मानसिक रोगी	62	62	5	49	8	0
कुष्ठ मुक्त रोगी	12	12	1	7	4	0
विद्यार्थी	20198	20198	1915	14062	4216	5
वरिष्ठ नागरिक	9235	9202	1409	6587	1189	17

शहीद की विधवा एवं उनके अवयस्क आश्रितों, मानसिक रोगी, कुष्ठ मुक्त रोगी एवं विद्यार्थियों को सभी आरएफआईडी कार्ड विलम्ब से जारी किये गये। शारीरिक रूप से असक्षम, श्रवण बाधित एवं वरिष्ठ नागरिकों के मामले में आरएफआईडी कार्ड 30 दिनों से अधिक विलम्ब से जारी किये गये।

निगम ने आरएफआईडी कार्ड जारी करने में विलम्ब को स्वीकार किया एवं बताया कि परिवहन विभाग (राजस्थान सरकार) को अधिनियम में निर्धारित तीन दिनों के स्थान पर आरएफआईडी कार्ड को जारी करने के लिए 15 दिन अनुमत करने के लिए निवेदन किया गया था (अप्रैल 2016)। 100 दिनों से अधिक विलम्ब वाले मामलों के संबंध में यह बताया कि सॉफ्टवेयर द्वारा इन कार्ड के नवीनीकरण के समय पुरानी एक्टीवेशन तिथि द्वारा कार्ड की एक्टीवेशन की तिथि को प्रतिस्थापित कर दिया गया। सेवा प्रदाता को इस संबंध में सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन करने के लिए निर्देशित किया जा चुका था (जून 2016)। सॉफ्टवेयर द्वारा पुरानी एक्टीवेशन तिथि द्वारा कार्ड की एक्टीवेशन की तिथि को प्रतिस्थापित करने के संबंध में दिया गया उत्तर सही नहीं था क्योंकि एक्टीवेशन की तिथि सभी मामलों में डाटा प्रविष्ट करने की तिथि के बाद की थी।

#### 4.10.7 सूचना बोर्ड पर सूचना का प्रदर्शन

नियम 7 के अनुसार नामित अधिकारी द्वारा आमजन की सुविधा कि लिए फॉर्म-2 में सूचना बोर्ड पर सेवाओं से संबंधित सभी संगत सूचनाओं को प्रदर्शित करना आवश्यक था। सूचना बोर्ड को कार्यालय के सहजगोचर स्थान पर लगाना आवश्यक था तथा अधिसूचित सेवा को प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले सभी आवश्यक प्रलेखों की जानकारी सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाना आवश्यक था। फॉर्म-2 में अधिसूचित सेवाओं के विवरण; आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रलेखों; सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए निर्दिष्ट समय सीमा; प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम एवं पता; प्रथम अपील के निस्तारण के लिए निर्दिष्ट समय सीमा; तथा द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम एवं पते को सम्मिलित किया गया।

हमने देखा कि निगम द्वारा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये परिलाभों के बारे में पात्र हिताधिकारियों की जागरूकता के लिए योजना को प्रचारित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। साथ ही, निगम द्वारा श्रीगंगानगर एवं झुंझुनूं के अतिरिक्त प्रधान कार्यालय एवं अन्य चयनित डिपोज के सूचना बोर्ड पर आवश्यक सूचना प्रदर्शित नहीं की गई। हिताधिकारियों को, इस प्रकार, निर्दिष्ट समयावधि में आरएफआईडी कार्ड को जारी करवाने तथा नामित अधिकारी/ प्रथम अपील अधिकारी के विरुद्ध प्रथम एवं द्वितीय अपीलीय प्राधिकारियों के पास अपील दायर करने के उनके अधिकारों के बारे में जागरूक नहीं किया गया। निगम द्वारा अधिकांश कार्ड विलम्ब से जारी किये गये थे लेकिन आरएफआईडी कार्ड को जारी/नवीनीकरण करने में विलम्ब के लिए नामित अधिकारी के विरुद्ध एक भी अपील दायर नहीं की गई थी।

निगम ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि सूचना बोर्ड पर आवश्यक सूचना प्रदर्शित करने के लिए सभी डिपोज के मुख्य प्रबंधकों को निर्देश जारी किये जा चुके थे (जून 2016)।

आरएफआईडी कार्ड से संबंधित अन्य लेखापरीक्षा परिणामों की चर्चा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अध्याय-III में की गई है।

#### निष्कर्ष


निगम, अधिनियम में निर्धारित निर्दिष्ट समयावधि में आरएफआईडी कार्ड जारी करने में विफल रहा क्योंकि लेखापरीक्षा में नमूना जांच किये गये कार्ड में से 99.62 प्रतिशत कार्ड विलम्ब से जारी किये गये। अभिलेखों का रखरखाव भी ठीक ढंग से नहीं किया गया था।

नामित अधिकारियों द्वारा फॉर्म-3 में रजिस्टर को संधारित नहीं किया गया तथा डिपोज द्वारा या तो आवेदन पत्रों एवं सहायक प्रलेखों के अभिलेख संधारित नहीं किये गये अथवा कार्डधारकों के सत्यापन की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये परिलाभों के बारे में जनता अनभिज्ञ रही क्योंकि प्रधान कार्यालय एवं चयनित डिपोज (श्रीगंगानगर एवं झुंझुनूं के अतिरिक्त) द्वारा सूचना बोर्ड पर आवश्यक सूचना प्रदर्शित नहीं की गई।

*सिफारिशें*

हम सिफारिश करते हैं कि निगम द्वारा आरएफआईडी कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में सुधार करना चाहिए ताकि कार्ड को निर्धारित समयावधि में जारी किया जा सके। प्रबंधन द्वारा भी डिपोज को जारी किये गये निर्देशों की अनुपालना की निगरानी की जानी चाहिए।


जयपुर  
दिनांक 06 दिसम्बर 2016

  
(एस. आलोक)

महालेखाकार  
(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली  
दिनांक 13 दिसम्बर 2016

  
(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

